"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गज़ट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 21] रायपुर, सोमवार, दिनांक 24 जनवरी 2005— माघ 4, शक 1926

विधि और विधायी कार्य विभाग

रायपुर, दिनांक 24 जनवरी 2005

क्रमांक 641/21-अ/प्रारुपण/04.— छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 21-01-2005 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विमला सिंह कपूर, उप-सचिव.

20. महापरिषद् की शक्तियाँ तथा कर्त्तव्य
21. महापरिषद् द्वारा स्थायी समिति और तदर्थ समितियों का गठन
22. कार्यपरिषद्
23. कार्यपरिषद् की शक्तियाँ तथा कर्त्तव्य
24. वित्त समिति
25. विद्यापरिषद्
26. विद्यापरिषद् की शक्तियाँ
27. अध्ययन बोर्ड

अध्याय – पाँच
वित्त

28. विश्वविद्यालय निधि
29. उद्देश्य जिनके लिए विश्वविद्यालय निधि का उपयोजन किया जा सकेगा
30. वार्षिक लेखे तथा संपरीक्षा
31. वार्षिक रिपोर्ट

अध्याय – छः
समन्वय समिति, परिनियम, अध्यादेश तथा विनियम

32. कुलपति समन्वय समिति का सदस्य होगा
33. परिनियम
34. परिनियम कैसे बनाये जाएँगे
35. अध्यादेश
36. विनियम

अध्याय – सात
विद्यार्थियों का प्रवेश एवं परीक्षकों की नियुक्ति

37. विश्वविद्यालयीन पाठ्यक्रम के लिए प्रवेश
38. परीक्षक तथा अनुसमीक्षकों (माडरेटर्स) की नियुक्ति

अध्याय – आठ
विश्वविद्यालय में अध्यापन पदों पर नियुक्ति

39. अध्यापकों की नियुक्ति
40. प्रवरण समिति
41. अध्यापकों का वेतन

अध्याय – नौ
आपात उपबंध

42. राज्य सरकार कतिपय परिस्थितियों में वित्तीय नियंत्रण ग्रहण करेगी
43. कतिपय परिस्थितियों में विश्वविद्यालय के बेहतर प्रशासन के लिए उपबंध करने की दृष्टि से अधिनियम को उपान्तरित रूप में लागू करने की राज्य सरकार की शक्ति
44. परिणाम जो धारा 43 के अधीन अधिसूचना कि प्रवर्तन की कालावधि का अवसान होने पर होगा

अध्याय – दस
अनुपूरक उपबंध

45. विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों तथा निकायों का गठन संबंधी विवाद
46. समितियों का गठन
47. आकस्मिक रिक्तियों का भरा जाना

48. विश्वविद्यालय तथा निकायों की कार्यवाहियाँ रिक्तियों के कारण अविधिमान्य नहीं होगी
49. सेवा की शर्तें
50. अधिनियमों तथा आदेशों का संरक्षण
51. विश्वविद्यालय के सदस्य या अधिकारी का त्यागपत्र
52. प्राधिकारी का सदस्य होने के लिए निरर्हता
53. विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या निकाय में से किसी सदस्य को हटाने की शक्ति
54. संविदाओं का निष्पादन
55. मानद उपाधि
56. संपत्ति का अंतरण
57. कठिनाइयों का निराकरण

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 24 सन् 2004)

छत्तीसगढ़ कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय अधिनियम, 2004

कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय स्थापित तथा निगमित करने हेतु अधिनियम।

भारत गणराज्य के पचपनवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान–मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:–

अध्याय – एक
प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ

1.(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय अधिनियम, 2004 कहलायेगा।

(2) यह ऐसी तारीख, को प्रवृत्त होगा जब आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित हो।

(3) वह पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में लागू होगा।

परिभाषाऍं

2. इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा न हो:–

(एक) "विद्यापरिषद्" से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय की विद्यापरिषद्;

(दो) "अध्ययन बोर्ड" से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय का अध्ययन बोर्ड;

(तीन) "महाविद्यालय" से अभिप्रेत है वह संस्था जिसे इस अधिनियम के उपबंधों द्वारा या उसके अधीन संधारित किया जाता हो या विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार दिये गये हों;

(चार) "समन्वय समिति" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्र–22 सन्–1973) की धारा 34 के अधीन गठित समन्वय समिति;

(पांच) "विभाग" से अभिप्रेत है प्राध्ययन विभाग और उसके अंतर्गत आता है अध्ययन केन्द्र (सेन्टर ऑफ स्टडीज);

(छः) "कर्मचारी" से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति और उसके अंतर्गत विश्वविद्यालय का अध्यापक तथा अन्य कर्मचारी;

(सात) "कार्यपरिषद्" से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद्;

(आठ) "संकाय" से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय का कोई संकाय;

(नौ) "महापरिषद्" से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय की महापरिषद्;

(दस) "महाविद्यालय का विभागाध्यक्ष" से अभिप्रेत है महाविद्यालय के किसी विभाग के अध्यक्ष;

(ग्यारह) "विश्वविद्यालय का विभागाध्यक्ष" से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को शिक्षण देने के लिए

विश्वविद्यालय द्वारा संधारित किए गए किसी अध्ययन विभाग का अध्यक्ष और उसके अंतर्गत आता है, संचालक या किसी ऐसे महाविद्यालय का प्राचार्य, किसी ऐसे संस्थान (इंस्टीट्यूट) का, जो कि गवेषणा कार्य में अभिवृद्धि करने के लिये या विश्वविद्यालय द्वारा संधारित किया जाता हो;

(बारह) ''कुलाधिपति'' से अभिप्रेत हैं विश्वविद्यालय का कुलाधिपति;

(तेरह) ''कुलपति'' से अभिप्रेत हैं विश्वविद्यालय का कुलपति;

(चौदह) ''विश्वविद्यालय से संसक्त व्यक्ति'' से अभिप्रेत हैं विश्वविद्यालय या महाविद्यालय का कोई कर्मचारी या विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या निकाय का या महाविद्यालय के प्रबंधक वर्ग (मैनेजमेंट) का कोई सदस्य;

(पंद्रह) ''प्राचार्य'' से अभिप्रेत हैं महाविद्यालय का प्रधान इसके अंतर्गत आता हैं प्राचार्य के रूप में कार्य करने के लिये नियुक्त व्यक्ति;

(सोलह) ''पंजीकृत स्नातक'' से अभिप्रेत हैं इस अधिनियम के अधीन पंजीकृत अथवा पंजीकृत समझा गया स्नातक;

(सत्रह) ''कुलसचिव'' से अभिप्रेत हैं विश्वविद्यालय का कुलसचिव;

(अठारह) ''अनुसूचित जाति'' से अभिप्रेत हैं भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन इस राज्य के संबंध में विनिर्दिष्ट की गई अनुसूचित जाति; ''अनुसूचित जनजाति'' से अभिप्रेत हैं भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन इस राज्य के संबंध में विनिर्दिष्ट की गई अनुसूचित जनजाति;

(उन्नीस) ''प्राध्ययन केन्द्र'' से अभिप्रेत है उच्चतर विद्या तथा गवेषणा के स्थान के रूप में विश्वविद्यालय द्वारा संधारित की गई संस्था;

(बीस) ''परिनियम'', ''अध्यादेश'' तथा ''विनियम'' से अभिप्रेत हैं विश्वविद्यालय के तत्समय प्रवृत्त परिनियम/अध्यादेश तथा विनियम जैसी भी की दशा हो;

(इक्कीस) ''छात्र निवास'' से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या संस्था के विद्यार्थियों के लिए निवास स्थान की या सामूहिक जीवन की इकाई जिसे विश्वविद्यालय द्वारा संधारित किया गया हो या मान्यता दी गई हो;

(बाईस) ''विश्वविद्यालय का अध्यापक'' से अभिप्रेत है आचार्य (प्रोफेसर), उपाचार्य (रीडर), प्राध्यापक (लेक्चरर) तथा ऐसे अन्य व्यक्ति, जो विद्यापरिषद् के अनुमोदन से विश्वविद्यालय में या किसी महाविद्यालय या संस्था में, जिसे विश्वविद्यालय द्वारा संधारित किया जाता हो या जिसे विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता दी गई हो, शिक्षण देने के लिए या गवेषणा कार्य का संचालन करने के लिए नियुक्त किए गए हों;

(तेईस) ''विश्वविद्यालय'' से अभिप्रेत है कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय;

(चौबीस) ''विश्वविद्यालय अनुदान आयोग'' से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का संख्या 3) के अधीन स्थापित किया गया आयोग।

अध्याय दो
विश्वविद्यालय

विश्वविद्यालय की स्थापना और उसका निगमन

3 (1) कुशाभाऊ ठाकरे राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय के नाम से एक विश्वविद्यालय की स्थापना की जावेगी। विश्वविद्यालय उपरोक्त नाम से एक निगमित निकाय होगा जो कुलाधिपति, कुलपति, महापरिषद् की कार्यपरिषद् के और विद्यापरिषद् के सदस्यो से मिलकर बनेगा और ऐसे समस्त व्यक्ति जो इसके पश्चात् उसके ऐसे अधिकारी या सदस्य बन गए हैं, ऐसे पद धारण करने या ऐसे सदस्यता धारण तक ऐसे पद पर बने रहेंगे।

(2) विश्वविद्यालय का शाश्वत उत्तराधिकार होगा तथा उसकी सामान्य मुद्रा होगी और वह उक्त नाम से वाद चलायेगा तथा उक्त नाम से उसके विरुद्ध वाद चलाया जाएगा।

(3) इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, विश्वविद्यालय जंगम तथा स्थावर दोनों प्रकार की संपत्ति अर्जित करने तथा धारण करने, किसी ऐसे जंगम या स्थावर संपत्ति को जो कि उसमें निहित की गई हो, या विश्वविद्यालय के प्रयोजनों के लिए उसके द्वारा अर्जित की गई पट्टे पर देने, बेचने या अन्यथा अंतरित करने तथा संविदा करने और ऐसे समस्त अन्य बातें, जो इस अधिनियम के प्रायोजनों के लिए आवश्यक हों, करने के लिए सक्षम होगा।

(4) विश्वविद्यालय द्वारा या उसके विरुद्ध समस्त वादों तथा अन्य विधिक कार्यवाहियों में अभिवचन रजिस्ट्रार द्वारा हस्ताक्षरित किए जायेंगे और ऐसे वादों तथा कार्यवाहियों में समस्त आदेशिकायें रजिस्ट्रार को जारी की जाएंगी तथा उस पर तामील की जाएंगी।

(5) विश्वविद्यालय का मुख्यालय रायपुर में स्थित होगा।

विश्वविद्यालय के उद्देश्य

4. विश्वविद्यालय के उद्देश्य निम्नलिखित होंगे:-

(1) विश्वविद्यालय को प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जन संचार तथा इससे जुड़े ऐसे विषय, अध्ययन शाखायें एवं अध्ययन क्षेत्र जो इन क्षेत्रों के आवश्यक तथा उपयोगी हो एवं जो इससे संबद्ध हों के लिए अध्यापन, प्रशिक्षण, विद्या और अनुसंधान के राष्ट्रीय केन्द्र के रूप में विकसित करना;

(2) उपरोक्त क्षेत्रों को आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए व्यवसायिक मानव शक्ति तैयार करना;

(3) अनुसंधान, प्रशिक्षण और प्रकाशन के माध्यम से ग्रामीण तथा जनजातीय क्षेत्रों में संचार के लिए समुचित प्रौद्योगिकी विकसित करना;

(4) एक विशिष्टता वाले उद्यमी का विकास करना;

(5) समाज के उपान्तस्थ वर्गो विशेषकर महिलाओं, अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जातियों एवं अन्य पिछड़ा वर्ग पर विशेष ध्यान देना;

(6) उपर वर्णित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए समस्त आवश्यक उपाय करना।

विश्वविद्यालय की शक्तियाँ

5. इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, विश्वविद्यालय को निम्नलिखित शक्तियाँ प्राप्त होंगी अर्थात्:—

(एक) विद्या के ऐसी शाखाओं में जिन्हें विश्वविद्यालय समय—समय पर अवधारित करें, शिक्षण के लिए व्यवस्था करना और गवेषणा कार्य तथा ज्ञान के अभिवर्धन एवं प्रचार के लिए व्यवस्था करना;

(दो) अध्यापन तथा गवेषणा के लिए विश्वविद्यालय की प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों, संग्रहालयों तथा अन्य सुविधाओं का आयोजन करना;

(तीन) महाविद्यालयों, अध्यापन—विभागों, प्रध्ययन केन्द्रों, अध्ययन केन्द्रों तथा छात्र निवासों को स्थापित करना, संधारित करना तथा उनका प्रबंध करना;

(चार) (क) इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार आचार्य पद, उपाचार्य पद, प्राध्यापक पद तथा विद्या संबंधी कोई अन्य पद या कोई अन्य अध्यापन पद जो कि विश्वविद्यालय द्वारा अपेक्षित हो, संस्थित करना और ऐसे पदों पर व्यक्तियों को नियुक्त करना;

(ख) उन व्यक्तियों को जो किसी अन्य विश्वविद्यालय या अन्य संगठन में कार्य कर रहे हो, विश्वविद्यालय के अध्यापक के रूप में विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए नियुक्त करना;

(पांच) अध्यापकों को इस रूप में मान्यता देना कि वे महाविद्यालय के शिक्षण देने के लिए अर्ह हैं;

(छः) किसी विषय में प्रख्यात व्यक्तियों के इस प्रायोजन से मान्यता देना कि वे उस समय विषय में गवेषणा के सम्बंध में पथप्रदर्शन करें;

(सात) विभिन्न परिक्षाओं के लिए शिक्षण कम अधिकथित करना;

(आठ) इस अधिनियमों के उपबंधों के अनुसार उपाधियां, उपाधिपत्र, प्रमाण पत्र तथा विद्या सम्बंधी अन्य विशिष्टताएं संस्थित करना;

(नौ) ऐसी शर्तो के, जैसी कि विश्वविद्यालय अवधारित करे, अध्ययीन रहते हुए परीक्षाओं, मूल्यांकन, या जांच की किसी अन्य पद्धति के आधार पर जैसा कि परिनियमों द्वारा विहित की जाएं उपाधिपत्र, प्रमाण पत्र देना और उपाधियां तथा विद्या सम्बंधी अन्य विशिष्टतायें प्रदान करना;

परन्तु विश्वविद्यालय की किसी उपाधि तक पहुंचाने वाली परीक्षा में किसी भी व्यक्ति को तब तक प्रवेश नहीं दिया जाएगा जबतक कि ऐसे व्यक्ति ने, यदि उसने ऐसी परीक्षा के लिए ऐसा विषय चुना हो, जिसके लिए कि प्रायोगिक (प्रेक्टिकल) कार्य का पाठ्यक्रम विहित किया गया हो, ऐसा कार्य किसी विश्वविद्यालयन अध्यापन विभाग या किसी प्रध्ययन केन्द्र या किसी महाविद्यालय में पूरा न कर लिया गया हो तथा जब तक के वह उस कार्य के इस प्रकार पूरा कर लेने के बारे में उस अध्यापन विभाग या प्राध्ययन केन्द्र के विभागाध्यक्ष या उस महाविद्यालय के प्राचार्य, का प्रमाण पत्र पेश कर दें;

(दस) उन व्यक्तियों को जिन्होंने अध्यादेशों में अभिकथित शर्तो के अधीन गवेषणा का कार्य किया हो, उपाधि तथा विद्या सम्बंधी अन्य विशिष्टताएं प्रदान करना;

(ग्यारह) उपाधियों, उपाधि पत्रों, प्रमाण पत्रों तथा विद्या सम्बंधी अन्य विशिष्टताओं का उचित तथा पर्याप्त कारण से प्रत्याहरण करना;

(बारह) अनुमोदित व्यक्तियों को परिनियमों में विहित की गई रीति में सम्मानिक उपधियां या विद्या सम्बंधी अन्य विशिष्टताएं प्रदान करना;

(तेरह) उस रीति में तथा उन शर्तो के अधीन, जो परिनियमों या अध्यादेशों द्वारा विहित की गई हो, अपने विशेषाधिकार देना, , इन समस्त विशेषाधिकारों का या उन में से किसी भी विशेषाधिकार का प्रत्याहरण करना महाविद्यालयों का प्रबंध करना;

(चौदह) विश्वविद्यालय के किसी अध्यापन विभाग, प्राध्ययन केन्द्र या महाविद्यालय को स्वशासी महाविद्यालय के रूप में घोषित करना;

परन्तु स्वायत्तता, जो विशवविद्यालय के प्रत्येक ऐसे अध्ययन केन्द्र या प्रत्येक ऐसे महाविद्यालय को प्राप्त हो सकेगी ,की सीमा ऐसी होगी जैसी कि परिनियमों, द्वारा विहित की जाए तथा वे विषय जिनके कि सम्बंध में वह ऐसी स्वायत्तता का प्रयोग कर सकेगा ऐसे होंगे जैसे कि परिनियमों द्वारा विहित किए जाएं;

(पंद्रह) विश्वविद्यालय द्वारा मान्य महाविद्यालय तथा संस्थाओं में अध्यापन तथा गवेषणा कार्य का संचालन करना, समन्वय करना विनियमन करना तथा नियंत्रण करना;

(सोलह) परिनियमों तथा अध्यादेशों में विहित की गई रीति से उन छात्र निवासों को जो विश्वविद्यालय द्वारा संधारित न हों, मान्यता देना किसी ऐसी मान्यता का प्रत्याहरण करना;

(सत्रह) महाविद्यालयों तथा मान्यता प्राप्त संस्थाओं का निरीक्षण करना तथा यह सुनिश्चित करने के लिए उपाय करना कि उनमें शिक्षण अध्यापन तथा प्रशिक्षण का उचित स्तर बनाएं रखा जावे;

(अठारह) समाज के कमजोर वर्गों के तथा विशिष्टतः अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक हित को विशेष सतर्कता के साथ संप्रवर्तित करना;

(उन्नीस) विश्वविद्यालय के अध्यापकों तथा पूर्व छात्रों के लिये पुनः सद्यक पाठ्यक्रमों (रिफ्रेशन कार्सेस) तथा अवकाश पाठ्यक्रमों (वेकेशन कोर्सेस) की सुविधायें देना;

(बीस) ऐसी रीति में तथा ऐसे प्रयोजनों के लिये जिन्हें जिसे कि विश्वविद्यालय अवधारित करे अन्य विश्वविद्यालयों तथा प्राधिकारियों के साथ सहयोग तथा सहकार करना;

(इक्कीस) निम्नलिखित के लिये व्यवस्था करना:—

(क) बहिर्वर्ती (एक्सट्राम्यूरल) अध्यापन तथा विस्तारी सेवा;

(ख) इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार दूर शिक्षा;

(ग) शारीरिक प्रशिक्षण;

(घ) खेलों तथा व्यायाम संबंधी क्रियाकलाप;

(ङ) समाज सेवा स्कीमें;

(च) राष्ट्रीय कैडेट कोर;

(बाईस) निम्नलिखित को संस्थित करना तथा उनका प्रबंध करना:—

(क) सूचना ब्यूरो;

(ख) नियोजन ब्यूरो, और

(ग) मुद्रण तथा प्रकाशन विभाग और अनुवाद ब्यूरो;

(तेइस) विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के निवास, आचरण तथा अनुशासन का पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण करना और उनके स्वास्थ्य एवं सामान्य कल्याण में अभिवृद्धि करने के हेतु इंतजाम करना;

(चौबीस) ऐसी फीस तथा अन्य प्रभारों की, जो अध्यादेशों द्वारा विहित किये जायें, मांग करना तथा उनका संदाय प्राप्त करना;

(पच्चीस) ऐसी फीस तथा ऐसे अन्य प्रभार, जो महाविद्यालयों द्वारा प्राप्त किये जा सकेंगे या वसूल किये जा सकेंगे, विहित करना तथा उनका नियंत्रण करना;

(छब्बीस) प्रशासनिक, लिपिकवर्गीय तथा अन्य आवश्यक पदों का सृजन करना, उनकी पदावधि

अवधारित करना तथा उन पर नियुक्तियां करना;

(सत्ताईस) विश्वविद्यालय के वैतनिक अधिकारियों, अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों पर परिनियमों तथा अध्यादेशों के अनुसार नियंत्रण रखना;

(अठ्ठाईस) न्यासों तथा विन्यासों (एण्डाउमेंट्स) को धारण करना और उनका प्रबंध करना तथा अध्येतावृत्तियां, (फेलोशिप्स) छात्रवृत्तियां, छात्र सहायक वृत्तियां (एग्जीविशन्स), वजीफे (बर्सरीज) पदक एवं अन्य पुरस्कार संस्थित तथा प्रदान करना;

(उन्तीस) संदान तथा अनुदान प्राप्त करना और इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार निधियां विनिहित करना;

(तीस) राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से विश्बविद्यालय के प्रयोजनों के लिये विश्वविद्यालय की स्थावर संपत्ति की प्रतिभूति पर धन उधार देना;

(इक्तीस) विश्वविद्यालय में प्रवेश संबंधी मापदण्ड, जिनके अंतर्गत परीक्षा मूल्यांकन या जांच की कोई अन्य पद्धति आती है, अवधारित करना;

(बत्तीस) स्त्री विद्यार्थियों की दशा में ऐसे विशेष इंतजाम;

(तैतीस) कर्मचारियों के स्वास्थ्य एवं सामान्य कल्याण की अभिवृद्धि के लिए इंतजाम करना;

(चौतीस) ऐसी कोई भूमि या भवन या संकर्म जो विश्वविद्यालय के प्रयोजन के लिए आवश्यक या सुविधाजनक है, और ऐसे निबंधनों तथा शर्तो पर जो कि वह ठीक और उचित समझे कय करना, पट्टे पर लेना दान के रूप में या अन्यथा स्वीकार करना और राज्य सरकार के अनुमोदन के अध्यधीन रहते हुये ऐसे किसी भवन या संकर्म का सन्निर्माण करना या उसमें परिवर्तन करना;

(पैतीस) विश्वविद्यालय के जंगम या स्थावर, समस्त संपत्ति या उसके किसी भाग के ऐसे निबंधनों पर जैसा कि विश्वविद्यालय ठीक और उचित समझे विकय करना, विनिमय करना, पट्टे पर देना या अन्यथा व्ययन करना;

(छत्तीस) विश्वविद्यालय की कोई कक्षाएं या उसके विभागों को समाप्त करना और बंद करना;

(सैंतीस) केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या प्राधिकरणों से अनुदान प्राप्त करने के लिए करार करना;

(अड़तीस) समस्त ऐसे कार्य तथा बातें, चाहे वे पूर्वोक्त शक्तियों से आनुषंगिक हों या न हो, जो

विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए अपेक्षित हों, करना ।

विश्वविद्यालय से संबंधित समस्त बातों में विभेद का प्रतिषेध

6 विश्वविद्यालय इस अधिनियम के द्वारा या उसके अधीन उसे प्रदत्त की गई शक्तियों का प्रयोग करने में या इस अधिनियम के द्वारा या उसके अधीन उस पर अधिरोपित किये गये कृत्यों का पालन करने में धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान, भाषा के आधार पर या इनमें से किसी एक के आधार पर भारत के किसी भी नागरिक के विरूद्ध विभेद नहीं करेगा ।

विश्वविद्यालय में अध्यापन

7. विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों के संबंध में समस्त मान्यता प्राप्त अध्यापन कार्य, ऐसे अध्यापन का आयोजन करने के लिये उत्तरदायी प्राधिकारी तथा पाठ्यक्रम एवं पाठचर्या ऐसी होगी/ऐसा होगा जैसा कि यथास्थिति परिनियमों, अध्यादेशों या विनियमों द्वारा विहित किया जाए ।

विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालय का निरीक्षण

8. (1) कुलाधिपति, स्वप्रेरणा से, ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा जिन्हें/जिसे कि वह निर्देश दे, विश्वविद्यालय का, उसके भवनों, प्रयोगशालाओं, संग्रहालयों, कर्मशालाओं तथा साजसज्जा का और किसी महाविद्यालय या संस्था का, जिसे विश्वविद्यालय द्वारा संधारित किया जाता हो, या जिसे उसके विशेषाधिकार दिये गये हों तथा विश्वविद्यालय द्वारा संचालित परीक्षाओं या उसके द्वारा किये गये अध्यापन तथा अन्य कार्य का भी निरीक्षण करवा सकेगा तथा विश्वविद्यालय, महाविद्यालयों या संस्थाओं के प्रशासन या वित्त से संबंधित किसी भी मामले के बारे में वैसी ही रीति में जांच करवा सकेगा तथा राज्य सरकार द्वारा निवेदन किया जाने पर ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा जिन्हें/जिसे कि वह निर्देश दे, विश्वविद्यालय का, उसके भवनों, प्रयोगशालाओं, संग्रहालयों, कर्मशालाओं तथा साजसज्जा का और किसी महाविद्यालय या संस्था का, जिसे विश्वविद्यालय द्वारा संधारित किया जाना हो, या जिसे उसके विशेषाधिकार दिये गये हों तथा विश्वविद्यालय द्वारा संचालित परीक्षाओं या उसके द्वारा किये गये अध्यापन तथा अन्य कार्य का भी निरीक्षण करवायेगा तथा विश्वविद्यालय, महाविद्यालयों या संस्थाओं के प्रशासन तथा वित्त से संबंधित किसी भी मामले के बारे में वैसी ही रीति में जांच करवायेगा ।

(2) कुलाधिपति, प्रत्येक मामले में निरीक्षण करवाने या जांच करवाने के अपने आशय की सूचना:—

(क) विश्वविद्यालय को देगा, यदि ऐसा निरीक्षण या जांच, विश्वविद्यालय के संबंध में या विश्वविद्यालय द्वारा संधारित, महाविद्यालय या संस्था के संबंध में की जानी हो / किया जाना हो;

(ख) महाविद्यालय या संस्था के प्रबंधक वर्ग को देगा, यदि वह निरीक्षण या जांच किसी ऐसे महाविद्यालय या किसी ऐसी संस्था के संबंध में जिसे कि विश्वविद्यालय

के विशेषाधिकार दिये गये हों, की जानी हो किया जाना हो, और यथास्थिति, विश्वविद्यालय या प्रबंधक वर्ग का एक प्रतिनिधि, जिसे यह अधिकार होगा कि वह ऐसे निरीक्षण या ऐसी जांच के समय उपस्थित रहे तथा उस समय उसकी सुनवाई की जाए, नियुक्त करने का हकदार होगा ।

(3) ऐसा व्यक्ति ऐसे निरीक्षण या जांच के परिणाम की रिपोर्ट कुलाधिपति को देगा और कुलाधिपति ऐसे निरीक्षण या जांच के परिणाम के संबंध में अपने विचार कुलपति के माध्यम से यथास्थिति कार्य परिषद् या उक्त प्रबंधक वर्ग को संसूचित करेगा तथा उस पर कार्य परिषद् या प्रबंधक वर्ग की राय, अधिनिश्चित करने के पश्चात् विश्वविद्यालय या प्रबधंक वर्ग को की जाने वाली, कार्यवाही के संबंध में सलाह देगा;

परन्तु जहां निरीक्षण या जांच राज्य सरकार द्वारा निवेदन किया जाने पर करवाया गया हो, कार्यवाही की गई हो, वहां कुलाधिपति राज्य सरकार के परामर्श से इस उपधारा के अधीन कार्यवाही करेगा ।

(4) यथास्थिति कार्य परिषद् या प्रबंधक वर्ग कुलपति के माध्यम से कुलाधिपति को ऐसी कार्यवाही की, यदि कोई हो, जो उसने ऐसे निरीक्षण या जांच के परिणामस्वरूप की हो या जिसका करना वह प्रस्थापित करे संसूचना देगा और ऐसी रिपोर्ट, ऐसे समय के भीतर, जैसा कि कुलाधिपति निर्दिष्ट करे, भेजी जायेगी ।

(5) जहां कार्य परिषद् या प्रबंधक वर्ग, युक्तियुक्त समय के भीतर, कुलाधिपति के समाधान योग्य कार्रवाही करने असफल हो, वहां कुलाधिपति, कार्यपरिषद् या प्रबंधक वर्ग द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण या किये गये व्यपदेशपन पर विचार करने के पश्चात्, राज्य सरकार के परामर्श से ऐसे निर्देश जारी कर सकेगा, जैसे कि वह उचित समझे, और यथास्थिति, कार्यपरिषद् या प्रबंधक वर्ग उनका अनुपालन करेगा / करेगी ।

अध्याय तीन
विश्वविद्यालय के अधिकारी

विश्वविद्यालय के अधिकारी

9 विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारी होंगे, अर्थात्:–

(एक) कुलाधिपति;

(दो) कुलपति;

(तीन) कुलसचिव;

(चार) वित्त अधिकारी;

(पांच) विश्वविद्यालय की सेवा में के ऐसे अन्य अधिकारी, जो कि परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के अधिकारी घोषित किये जाएं ।

कुलाधिपति और उसकी शक्तियां

10 (1) छत्तीसगढ़ के राज्यपाल विश्वविद्यालय के कुलाधिपति होंगे ।

(2) कुलाधिपति मानत अधिकारी होगा और अपने पद के आधार पर विश्वविद्यालय का प्रधान तथा महापरिषद् का अध्यक्ष होगा और जब वह उपस्थित हो, महापरिषद् के सम्मेलनों की तथा विश्वविद्यालय के किसी भी दीक्षांत समारोह समारोह की अध्यक्षता करेगा ।

(3) कुलाधिपति:–

(क) विश्वविद्यालयों के कार्यकलापों से संबंधित कोई भी कागज पत्र या जानकारी मंगा सकेगा; और

(ख) अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से धारा 57 के अधीन आने वाले मामले के सिवाय कोई भी मामला विश्वविद्यालय के किसी भी अधिकारी या प्राधिकारी को, जिसने ऐसे मामले पर पूर्व में विचार किया हो, पुनर्विचार के लिए निर्देशित कर सकेगा;

(4) कुलाधिपति लिखित आदेश द्वारा:–

(क) विश्वविद्यालय के किसी भी अधिकारी या विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकारी, समिति या निकाय की, जो कि इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन गठित किया गया / की गई हो, किसी भी ऐसी कार्यवाही को जो इस अधिनियम, परिनियमों, अध्यादेशों या विनियमों के अनुरूप न हों; या

(ख) किसी प्राधिकारी, समिति या किसी अन्य निकाय की किन्ही ऐसी कार्यवाहियों को, जो कुलपति द्वारा उसे निर्देशित की गई हों, यदि उसका यह समाधान हो जाये कि ऐसी कार्यवाहियां विश्वविद्यालय के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली हैं, बातिल कर सकेगा;

परन्तु कोई भी ऐसा आदेश करने के पूर्व वह संबंधित अधिकारी, प्राधिकारी, समिति या निकाय को यह कारण दर्शाने के लिए अपेक्षित करेगा कि ऐसा आदेश क्यों न किया जाए और यदि उसके द्वारा इस संबंध में विनिर्दिष्ट किये गये समय के भीतर कोई कारण दर्शाया जाए, तो वह उस पर विचार करेगा।

(5) जहां कुलाधिपति उपधारा (6) के अधीन की कार्यवाहियों को वातिल करते हुए कोई आदेश पारित करता है, वहां वह

उसके संबंध में इस अधिनियम, नियमों, परिनियमों, अध्यादेशों तथा विनियमों के अनुरूप, ऐसा पश्चात्वर्ती आदेश कर सकेगा जैसा कि वह विश्वविद्यालय के हित में आवश्यक समझे और इस प्रकार किया गया आदेश अंतिम होगा ।

(6) सम्मानिक उपाधि प्रदान करने की प्रत्येक प्रस्थापना कुलाधिपति के पुष्टिकरण के अध्यधीन होगी ।

(7) कुलाधिपति ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जो कि इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उसे प्रदत्त की जाएं ।

कुलपति की नियुक्ति

11 (1) कुलपति की नियुक्ति उपधारा (2) या उपधारा (6) के अधीन गठित खोज समिति द्वारा सिफारिश किये गये कम से कम तीन पत्रकारिता से संबंधित क्षेत्र के व्यक्तियों की तालिका (पेनल) में से राज्य सरकार के परामर्श पर कुलाधिपति द्वारा "प्रसाद के सिद्वांत" की जावेगी ।

परन्तु यदि खोज समिति द्वारा अनुशांसित समिति में से कुलाधिपति द्वारा अनुमोदित व्यक्ति द्वारा नियुक्ति स्वीकार न करना चाहे तो कुलाधिपति खोज समिति से नए नाम मंगा सकेगा ।

(2) कुलाधिपति एक खोज समिति नियुक्त करेगा, जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थातः–

(एक) कार्यपरिषद् द्वारा अनुशांसित एक व्यक्ति;

(दो) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष द्वारा नाम निर्देशित एक व्यक्ति

(तीन) राज्य सरकार द्वारा नाम निर्देशित किया गया एक व्यक्ति;

कुलाधिपति इन्हें नियुक्त करेगा और उनमें से एक को समिति का अध्यक्ष बनाएगा

(3) उपधारा (2) के अधीन समिति गठित करने के लिये, कुलाधिपति, कुलपति की अवधि का अवसान होने के छः मास पूर्व, कार्य परिषद् तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष एवं राज्य शासन को अपने–अपने नाम निर्दिष्ट व्यक्तियों को चुनने के लिये अपेक्षित करेगा और यदि उनमें से कोई भी या दोनों इस बारे में कुलाधिपति की संसूचना प्राप्त होने के एक मास के भीतर ऐसा करने में असफल रहें तो राज्य सरकार के परामर्श से कुलाधिपति, यथास्थिति किसी एक या दोनों व्यक्तियों का नाम निर्देशित कर सकेगा ।

(4) किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो विश्वविद्यालय से संसक्त हो, उपधांरा (2) के अधीन समिति के लिये निर्वाचित या अनुशंसित नहीं किया जाएगा ।

(5) समिति अपने गठन की तारीख से छः सप्ताह के भीतर या चार सप्ताह से अनधिक ऐसे और समय के भीतर, जो कि कुलाधिपति द्वारा बढ़ाया जाए, तालिका प्रस्तुत करेगी ।

(6) यदि किसी कारण से समिति, जो उपधारा (2) के अधीन गठित की गई हो, उपधारा (5) में विनिर्दिष्ट की गई कालावधि के भीतर तालिका प्रस्तुत करने में असफल रहे, तो कुलाधिपति एक अन्य समिति गठित करेगा जिसमें ऐसे तीन व्यक्ति होंगे, जो विश्वविद्यालय या किसी महाविद्यालय से संसक्त न हो, जिनमें से एक को अध्यक्ष के रूप में अभिहित किया जाएगा । इस प्रकार गठित की गई समिति अपने गठन की तारीख से छः सप्ताह की कालावधि के भीतर या ऐसी लघुतर कालावधि, जैसी कि विनिर्दिष्ट की जाए, के भीतर जिसमें कम से कम तीन नाम होंगे तालिका प्रस्तुत करेगी

(7) यदि उपधारा (6) के अधीन समिति उस उपधारा में विनिर्दिष्ट की गई कालावधि के भीतर तालिका प्रस्तुत करने में असफल रहे, तो राज्य सरकार के परामर्श पर कुलाधिपति किसी भी ऐसे व्यक्ति को, जिसे वह उपयुक्त समझे, कुलपति नियुक्त कर सकेगा।

(8) राज्य शासन एक पत्रकारिता के क्षेत्र के विद्वान की नियुक्ति नवगठित विश्वविद्यालय के कुलपति के पद पर करेगा जो दो वर्ष से अधिक अवधि की नहीं होगी तथा ऐसा नियुक्त व्यक्ति विश्वविद्यालय की स्थापना की तारीख के छ: माह के भीतर, कार्यपरिषद्, विद्यापरिषद् तथा विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारियों का गठन करें और उक्त प्राधिकारियों का गठन होने तक कुलपति, यथास्थिति, कार्यपरिषद्, विद्यापरिषद् या ऐसा अन्य प्राधिकारी समझा जाएगा और इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन ऐसे प्राधिकारियों को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग तथा उन पर अधिरोपित कर्त्तव्यों का पालन करेगा।

कुलपति की उपलब्धियाँ तथा सेवा की शर्तें

12. (1) कुलपति, विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा और उसकी उपलब्धियाँ एवं सेवा के अन्य निबंधन तथा शर्तें परिनियमों द्वारा विहित की जाएँगी।

(2) कुलपति चार वर्ष की अवधि तक या 70 वर्ष की आयु तक, जो भी कम हो, पदधारण करेगा और वह दो से अधिक पदावधियों के लिए नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परंतु अपनी पदावधि का अवसान हो जाने पर भी वह तब तक पद धारण किये रहेगा, जब तक कि उसका उत्तराधिकारी नियुक्त न कर दिया जाए और वह अपना पद ग्रहण न कर ले किंतु यह कालावधि किसी भी दशा में छ: मास से अधिक नहीं होगी।

(3) यदि अध्यावेदन किया जाने पर या अन्यथा और ऐसी जाँच जो कि आवश्यक समझी जाय, करने के पश्चात् किसी समय राज्य सरकार को यह प्रतीत हो कि कुलपति ने -

(एक) इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उस पर अधिरोपित किये गये किसी कर्तव्य का पालन करने में व्यतिक्रम किया है; या

(दो) विश्वविद्यालय के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली रीति में कार्य किया है; या

(तीन) वह विश्वविद्यालय के कार्यकलापों का प्रबंध करने में असमर्थ है, तो राज्य सरकार, इस तथ्य के होते हुए भी कि कुलपति की पदावधि का अवसान नहीं हुआ है, एक लिखित आदेश द्वारा, जिसमें कारणों का विवरण रहेगा, कुलपति से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह तारीख से, जो कि आदेश में विनिर्दिष्ट की जाये, अपना पद त्याग दे।

(4) उपधारा (3) के अधीन कोई आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा, जब तक उन आधारों की विशिष्टयाँ जिन पर कि ऐसी कार्यवाही का किया जाना प्रस्तावित है, कुलपति को संसूचित न कर दी गई हो तथा उसे प्रस्थापित आदेश के विरूद्ध कारण दर्शाने का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो।

(5) उपधारा (3) के अधीन के आदेश में विनिर्दिष्ट की गई तारीख से यह समझा जाएगा कि कुलपति ने पद त्याग दिया है और कुलपति का पद रिक्त हो जाएगा।

(6) कुलपति की मृत्यु के कारण, उसके पद त्याग के कारण, छुट्टी रूग्णता या अन्यथा उसका पद रिक्त हो जाने की दशा में, जिसमें अस्थायी रिक्ति भी सम्मिलित है, कुलाधिसचिव और यदि कोई कुलाधिसचिव नियुक्त नहीं किया गया है या यदि कुलाधिसचिव उपलब्ध नहीं है तो राज्य सरकार द्वारा उस प्रयोजन के लिये नाम निर्देशित किया गया किसी संकाय का संकायाध्यक्ष या विश्वविद्यालय अध्यापन विभाग का वरिष्ठतम आचार्य कुलपति के रूप में उस तारीख तक कार्य करेगा जिसको कि कोई कुलपति जो ऐसी रिक्ति भरने के लिए धारा 11 की उपधारा (1) या उपधारा (7) के अधीन नियुक्त किया गया हो, यथास्थिति अपना पदग्रहण या पुन: ग्रहण नहीं कर लेता है :

परंतु इस उपधारा के अधीन अनुध्यात किया गया इंतजाम छ: मास से अधिक कालावधि तक चालू नहीं रहेगा।

कुलपति की शक्तियाँ तथा कर्त्तव्य

13. (1) कुलपति विश्वविद्यालय का प्रशासी तथा विद्या विषयक अधिकारी होगा और कुलाधिपति की अनुपस्थिति में महापरिषद् के सम्मिलिनों की अध्यक्षता करेगा। वह कार्य परिषद् का तथा विद्यापरिषद् का पदेन सदस्य तथा अध्यक्ष महापरिषद् का सदस्य

तथा विश्वविद्यालय के ऐसे अन्य प्राधिकारियों समितियों तथा निकायों का जिनका कि वह सदस्य हो, अध्यक्ष होगा। वह विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकारी, समिति या अन्य निकाय के किसी भी सम्मेलन में उपस्थित होने तथा बोलने का हकदार होगा, किंतु वह उसमें मत देने का तब तक हकदार नहीं होगा जब तक कि वह संबंधित प्राधिकारी, समिति या निकाय का सदस्य न हो।

(2) यह सुनिश्चित करना कुलपति का कर्तव्य होगा कि इस अधिनियम परिनियमों, अध्यादेशों तथा विनियमों का निष्ठापूर्वक अनुपालन किया जा रहा है और उसे इस प्रयोजन के लिए समस्त आवश्यक शक्तियाँ प्राप्त होगी।

(3) कुलपति को, कार्यपरिषद्, विद्यापरिषद् के तथा विश्वविद्यालय के ऐसे अन्य प्राधिकारियों, समितियों तथा निकायों के, जिनका कि वह अध्यक्ष हो, सम्मेलन बुलाने की शक्ति होगी। वह विश्वविद्यालय के किसी अन्य अधिकारी को यह शक्ति प्रत्यायोजित कर सकेगा।

(4) यदि कुलपति की राय में ऐसी आपात स्थिति उत्पन्न हो गई हो, जिसमें तुरंत कार्यवाही की जाना अपेक्षित हो, तो कुलपति ऐसी कार्यवाही करेगा जैसी कि वह आवश्यक समझे और तत्पश्चात् यथाशीघ्र अपनी कार्यवाही की रिपोर्ट ऐसे अधिकारी प्राधिकारी, समिति या अन्य निकाय को, जो कि मामूली अनुक्रम में उस मामले के संबंध में कार्यवाही करता, करेगा।

परंतु कुलपति द्वारा की गई कार्यवाही से विश्वविद्यालय तीन मास से अधिक कालावधि के लिये किसी भी आवर्ती व्यय के हेतु वचनबद्ध नहीं होगा।

परंतु यह और भी कि जहाँ कुलपति द्वारा की गई कार्यवाही ऐसी कोई विश्वविद्यालय की सेवा में के किसी व्यक्ति पर प्रभाव डालती हो, वहाँ ऐसा व्यक्ति उस तारीख से, जिसको कि उसे ऐसी कार्यवाही की संसूचना दी गई हो, तीस दिन के भीतर कार्यपरिषद् को अपील प्रस्तुत करने का हकदार होगा।

परंतु यह भी कि इस शक्ति का विस्तार अध्यादेशों, परिनियमों, विनियमों में संशोधन से संबंधित किन्हीं मामलों या पदों के सृजन और नियुक्तियों से संबंधित किन्हीं मामलों पर नहीं होगा।

(5) उपधारा (4) के अधीन रिपोर्ट प्राप्त होने पर यदि संबंधित प्राधिकारी, समिति या निकाय कुलपति द्वारा की गई, कार्यवाही का अनुमोदन न करे तो वह मामले का कुलाधिपति को निर्देशित करेगा जिसका उस पर विनिश्चय अंतिम होगा।

(6) उपधारा (4) के अधीन कुलपति द्वारा की गई कार्यवाही समुचित प्राधिकारी द्वारा की गई कार्यवाही समझी जाएगी जब तक कि वह उपधारा (5) के अधीन किए गए निर्देश के प्राप्त होने पर कुलाधिपति द्वारा अपास्त न कर दी जाए या उपधारा (4) के द्वितीय परन्तुक के अधीन अपील के किए जाने पर कार्यपरिषद् द्वारा अपास्त न कर दी जाए।

(7) कुलपति, विश्वविद्यालय के कार्यकलापों पर सामान्य नियंत्रण रखेगा और विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों के विनिश्चयों को प्रभावशील करेगा।

(8) कुलपति ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा जो कि परिनियमों, अध्यादेशों या विनियमों द्वारा विहित की जाए।

(9) विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति का यह कर्तव्य होगा कि वह विश्वविद्यालय की महापरिषद्, कार्यपरिषद्, विद्यापरिषद् और विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारियों का गठन नियत तारीख से छः माह की कालावधि के भीतर करें।

4. (1) कुलसचिव विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा और वह अधिनियम के अधीन अपने कर्तव्यों का निर्वहन, कुलपति के साधारण अधीनक्षण तथा नियंत्रण के अध्यधीन रहते हुए करेगा। वह महापरिषद् के, कार्यपरिषद् के, विद्यापरिषद् के सचिव के रूप में कार्य करेगा। कुलसचिव

(2) कुलसचिव की नियुक्ति कार्यपरिषद द्वारा कुलाधिपति के अनुमोदन से परिनियमों के अनुसार की जाएगी। परंतु विश्वविद्यालय का प्रथम कुलसचिव की नियुक्ति राज्यशासन करेगा।

(3) कार्यपरिषद् की शक्तियों के अध्यधीन रहते हुए, कुलसचिव जब तक कि परिनियमों में अन्यथा उपबंधित न हो यह देखने के लिए उत्तरदायी होगा कि समस्त धन उसी प्रयोजन के लिए व्यय किये जाते हैं, जिसके लिए वे मंजूर या आबंटित किये गये हैं।

(4) इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन अन्यथा उपबंधित के सिवाय, समस्त संविदायें विश्वविद्यालय की ओर से कुलसचिव द्वारा हस्ताक्षरित की जाएँगी और समस्त दस्तावेजों तथा अभिलेख विश्वविद्यालय की ओर से कुलसचिव द्वारा अधिप्रमाणीकृत किये जाएँगे।

(5) कुलसचिव ऐसी शक्तियों की प्रयोग करेगा तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो कि परिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों द्वारा उसको प्रदत्त की जाएँ या उस पर अधिरोपित किए जाएँ।

(6) जब कुलसचिव का पद रिक्त है या जब कुलपति बीमारी, अनुपस्थिति या किसी कारण से अपने कर्त्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है तो उसके कर्तव्यों का पालन ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाएगा जिसे कुलपति इस प्रयोग के लिए नियुक्त करे।

अन्य कर्मचारी 15. विश्वविद्यालय के अन्य कर्मचारियों, जो धारा (10) में निर्दिष्ट किए गए हैं नियुक्ति ऐसी रीत्ति में की जाएगी और उनकी सेवा की शर्तें एवं उनकी शक्तियाँ तथा कर्त्तव्य ऐसे होंगे जो कि परिनियमों, अध्यादेशों या विनियमों द्वारा निहित किये जाएँ।

अध्याय - चार
विश्वविद्यालय के प्राधिकारी

विश्वविद्यालय के प्राधिकारी 16. विश्वविद्यालय के प्राधिकारी निम्नलिखित होंगे

(एक) महापरिषद्

(दो) कार्यपरिषद्

(तीन) विद्यापरिषद्

(चार) वित्त-समिति

(पाँच) संकाय/स्कूल

(छः) अध्ययन बोर्ड

(सात) ऐसे अन्य प्राधिकारी जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकारी घोषित किए जाएँ।

महापरिषद् का गठन 17. महापरिषद् निम्नलिखित व्यक्तियों से मिलकर बनेगी, अर्थात् -

(एक) कुलाधिपति;

(दो) छ.ग. से लोकसभा का एक सदस्य जो मुख्यमंत्री द्वारा निर्देशित किया जाएगा;

(तीन) राज्यसभा का एक सदस्य जो मुख्यमंत्री छ.ग. द्वारा नाम निर्देशित किया जाएगा ;

(चार) मंत्री, वित्त;

(पाँच) मंत्री, जनसंपर्क;

(छः) मंत्री, उच्च शिक्षा;

(सात) छ.ग. से संबद्ध दो प्रख्यात व्यक्ति जो राज्य सरकार द्वारा नाम निर्देशित किए जाएँगे ;

(आठ) भारतीय प्रेस कौंसिल का अध्यक्ष या इसके द्वारा नामांकित व्यक्ति;

(नौ) कुलपति;

(दस) छ.ग. के विश्वविद्यालय का एक कुलपति जो राज्य सरकार के द्वारा नाम निर्देशित किया जाएगा;

(ग्यारह) प्रमुख सचिव/सचिव, जनसंपर्क-विभाग;

(बारह) प्रमुख सचिव/सचिव, उच्च शिक्षा-विभाग;

(तेरह) प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त-विभाग;

(चौदह) एक व्यक्ति, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा नाम निर्देशित किया जाएगा;

(पंद्रह) विधानसभा के तीन सदस्य जिनका नाम विधानसभा अध्यक्ष द्वारा नामांकित;

(सोलह) एक व्यक्ति, जो प्रसार भारती बोर्ड द्वारा नाम निर्देशित किया जाएगा;

(सत्रह) एक व्यक्ति जो भारत के फिल्म और दूरदर्शन संस्थान द्वारा नाम निर्देशित किया जायेगा;

(अठारह) विश्वविद्यालय के संकायों के संकायाध्यक्ष:

(उन्नीस) विश्वविद्यालय अध्यापन-विभाग से दो आचार्य, जिन्हें कुलपति द्वारा (चक्रानुक्रम से) नाम निर्देशित किया जाएगा;

(बीस) विश्वविद्यालय अध्यापन-विभाग से एक उपाचार्य और एक प्राध्यापक जिन्हें कुलपति द्वारा (चक्रानुक्रम से) नाम निर्देशित किया जाएगा;

(इक्कीस) पत्रकारिता का एक ख्यात अध्यापक जो राज्य सरकार द्वारा नाम निर्देशित किया जाएगा;

(बाइस) जनसंपर्क के क्षेत्र का एक विशेषज्ञ जो राज्य सरकार द्वारा नाम निर्देशित किया जाएगा;

(तेइस) छ.ग. से प्रकाशित होने वाले किसी हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र का एक संपादक, जो राज्य सरकार द्वारा नाम निर्देशित किया जाएगा;

(चौबीस) तीन विभिन्न भाषाओं के समाचार पत्र के तीन संपादक जो राज्य सरकार द्वारा नाम निर्देशित किये जायेंगे;

(पच्चीस) तीन योग्य विद्यार्थी जो अध्ययन बोर्डों के विद्यार्थी सदस्यों द्वारा अपने में से निर्वाचित किये गए हों;

(छब्बीस) ऐसी संस्थाएँ या व्यक्ति जो पाँच लाख रूपये या उससे अधिक का दान करें।

18. (1) कुलाधिपति महापरिषद् का अध्यक्ष होगा। अध्यक्ष और सचिव

(2) विश्वविद्यालय का कुलसचिव, महापरिषद् का सचिव होगा।

19. (1) महापरिषद् के पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्यों की पदावधि चारवर्ष होगी। महापरिषद् के सदस्यों की पदावधि एवं सेवा शर्तें

(2) जहाँ महापरिषद् का कोई सदस्य पद या नियुक्ति, जो वह धारण करता है, के कारण ऐसा सदस्य हो जाता है या वह नाम निर्देशित सदस्य है वहाँ उसकी सदस्यता तब समाप्त हो जाएगी जबकि वह ऐसा पद धारण करने से या नियुक्ति से प्रवरित हो जाता है या जब उसका नाम निर्देशन वापस ले लिया जाता है।

20. इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए महापरिषद निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग करेगी और निम्नलिखित कर्तव्यों का पालन करेगी, अर्थात् - महापरिषद् की शक्तियाँ तथा कर्त्तव्य

(1) विश्वविद्यालय से संबंधित समस्त विषयों के संबंध में सलाहकार निकाय के रूप में कार्य करना।

(2) विश्वविद्यालय की स्थूल नीतियों तथा कार्यक्रमों का समय-समय पर पुनर्विलोकन करना और विश्वविद्यालय की उन्नति तथा विकास के लिए उपाय सुझाना।

(3) वार्षिक रिपोर्ट, वार्षिक लेखाओं तथा तत्संबंधी संपरीक्षा रिपोर्ट यदि कोई हो पर विचार करना और उन पर संकल्प पारित करना।

(4) विश्वविद्यालय के वार्षिक वित्तीय प्राक्कलनों पर विचार करना और उन पर संकल्प पारित करना।

(5) सम्मानिक उपाधियाँ तथा विद्या-संबंधी अन्य विशिष्टताएँ कार्य-परिषद् की सिफारिश पर प्रदान करना।

(6) विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारियों के कार्यों का उस दशा में के सिवाय जहाँ कि ऐसे प्राधिकारियों ने उन शक्तियों के अनुसार कार्य किया हो जो कि इस अधिनियम, परिनियमों तथा अध्यादेशों द्वारा उन्हें प्रदत्त की गई हों, पुनर्विलोकन करना।

(7) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना तथा ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करना जो कि इस अधिनियम तथा परिनियमों द्वारा उसे प्रदत्त की जाए या उस पर अधिरोपित किए जाएँ।

21. महापरिषद् किसी कार्य या कार्यों को निष्पादित करने हेतु सलाह देने स्थायी समिति या तदर्थ समिति का गठन कर सकेगी तथा समिति को सहायता करने हेतु किसी विशेषज्ञ को सहयोजित भी कर सकेगी। महापरिषद् द्वारा स्थायी समिति और तदर्थ समितियाँ का गठन

कार्य परिषद 22. (1) कार्यपरिषद् विश्वविद्यालय की कार्यपालिक निकाय होगी और उसमें निम्नलिखित होंगे, अर्थात् -

(एक)	कुलपति;	अध्यक्ष
(दो)	मुख्यमंत्री द्वारा मनोनीत कोई दो विद्वान जो पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़ा हो;	सदस्य
(तीन)	विधानसभा अध्यक्ष द्वारा मनोनीत दो विद्वान जो पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़ा हो;	सदस्य
(चार)	प्रमुख सचिव/सचिव, जनसंपर्क विभाग या उसका नाम निर्देशिती जो उपसचिव के पद से निम्न पद का न हो;	सदस्य
(पाँच)	प्रमुख सचिव/सचिव, वित्तविभाग या उसका नाम निर्देशिती जो उप-सचिव के पद से निम्न पद श्रेणी का न हो;	सदस्य
(छः)	प्रमुख सचिव/सचिव, उच्च शिक्षा विभाग या उसका नाम निर्देशिती जो उपसचिव के पद से निम्न पद श्रेणी का न हो;	सदस्य
(सात)	एक संकायाध्यक्ष जो कुलाधिपति द्वारा नाम निर्देशित किया जाएगा;	सदस्य
(आठ)	महापरिषद् के पदेन सदस्यों से भिन्न दो सदस्य, जो महापरिषद् द्वारा नाम निर्देशित किये जाएँगे;	सदस्य
(नौ)	कुलपति की सिफारिश पर चक्रानुक्रम में कुलाधिपति द्वारा नाम निर्दिष्ट दो आचार्य;	सदस्य
(दस)	कुलसचिव;	सदस्य सचिव

(2) कार्यपरिषद् के वे सदस्य जो पदेन सदस्यों से भिन्न हो, दो वर्ष की कालावधि के लिए पदधारण करेंगे।

(3) कार्यपरिषद् के पाँच सदस्यों से गणपूर्ति होगी।

परंतु स्थगित सम्मिलन जो कि एक घंटे की पुनः सूचना पर हो, के लिए कोई गणपूर्ति आवश्यक नहीं होगी।

कार्य परिषद् की शक्तियाँ तथा कर्त्तव्य 23. (1) इस अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए परिनियमों, अध्यादेशों तथा विनियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, कार्यपरिषद् की निम्नलिखित शक्तियाँ होंगी और वह निम्नलिखित कर्तव्यों का पालन करेगी, अर्थात् -

(एक) विश्वविद्यालय की संपत्ति तथा निधियों को धारण करना, उन पर नियंत्रण रखना तथा उनका प्रबंध करना;

(दो) विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए विश्वविद्यालय के अधिकार में रखी निधियों का प्रबंध करना;

(तीन) संपरीक्षा रिपोर्ट के साथ वार्षिक लेखे अंगीकृत करना;

(चार) विश्वविद्यालय के वार्षिक वित्तीय प्राक्कलन विरचित करना और उन्हें महापरिषद् के समक्ष उसके विचारार्थ रखना;

(पाँच) (क) वार्षिक वित्तीय प्राक्कलनों को महापरिषद् के सुझावों, यदि कोई हो पर विचार करने के पश्चात् अंगीकृत करना;

(ख) वर्ष के कुल आवर्ती और कुल अनावर्ती व्यय के लिए सीमा नियत करना जो विश्वविद्यालय के संसाधनों पर आधारित होगी;

(छः) खण्ड (पाँच) के अध्यधीन रहते हुए वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी समय -

(क) बजट अनुदान की रकम कम करना;

(ख) बजट अनुदान के भीतर की किसी रकम के, एक उपशीर्ष से किसी अन्य

उपशीर्ष को या किसी एक उपशीर्ष के अंतर्गत आने वाले किसी अधीनस्थ शीर्ष से किसी अन्य उपशीर्ष के अंतर्गत आने वाले किसी अधीनस्थ शीर्ष को अंतरित किये जाने की मंजूरी देना;

(ग) किसी उपशीर्ष के भीतर की पच्चीस हजार से अनधिक किसी रकम के एक अधीनस्थ शीर्ष के किसी अन्य अधीनस्थ शीर्ष को या एक प्रधान इकाई से दूसरी प्रधान इकाई को अंतरित किये जाने की मंजूरी देना;

(सात) विश्वविद्यालय की ओर से निधियाँ उधार लेना तथा उधार देना;

परंतु निधियाँ विश्वविद्यालय संपत्ति की प्रतिभूति पर राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना, उधार नहीं ली जाएगी;

(आठ) विश्वविद्यालय की ओर से किसी जंगम या स्थावर संपत्ति को अंतरित करना; परन्तु विश्वविद्यालय की किसी भी स्थावर संपत्ति का बंधक, विक्रय, विनिमय, दान के रूप में या अन्यथा अंतरण राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी से ही किया जाएगा अन्यथा नहीं ;

(नौ) इस अधिनियम तथा परिनियमों द्वारा उसे दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा उसे सौंपे गये कर्तव्यों का पालन करते हुए विश्वविद्यालय की ओर से संविदायें करना, उनमें परिवर्तन, उन्हें कार्यान्वित करना तथा उन्हें रद्द करना;

(दस) विश्वविद्यालय की सामान्य मुद्रा का रूप अवधारित करना उसकी अभिरक्षा की व्यवस्था करना तथा उसके उपयोग को विनियमित करना;

(ग्यारह) विद्यापरिषद् की सिफारिश पर और इस अधिनियम एवं परिनियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए महाविद्यालयों को विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार देना और उस रीति में तथा उन शीर्षों के अधीन जो परिनियमों तथा अध्यादेशों में विहित की गई हो, इन विशेषाधिकारों में से किसी भी विशेषाधिकार का प्रत्याहरण करना तथा महाविद्यालयों का प्रबंध ग्रहण करना;

(बारह) विश्वविद्यालय के किसी अध्यापन-विभाग, प्राध्ययन केंद्र या महाविद्यालय को स्वशासी महाविद्यालय के रूप में घोषित करना, परंतु स्वायत्तता जो विश्वविद्यालय के प्रत्येक ऐसे अध्यापन विभाग प्रत्येक ऐसे प्राध्ययन केन्द्र या प्रत्येक ऐसे महाविद्यालय को प्राप्त हो सकेगी की सीमा ऐसी होगी जैसे कि परिनियमों द्वारा विहित की जाए तथा वे विषय जिनके कि संबंध में वह ऐसी स्वायत्तता का प्रयोग कर सकेगा, ऐसे होंगे जैसे कि परिनियमों द्वारा विहित किये जाएँ;

(तेरह) विश्वविद्यालय का कार्य चलाने के लिए आवश्यक भवन-परिसरों, उपस्कर, उपकरणों (एपरेटस) पुस्तकों तथा अन्य साधनों की व्यवस्था करना;

(चौदह) विश्वविद्यालय के पक्ष में न्यासों, वसीयतों (बिक्वेस्ट्स) दानों और किसी जंगम या स्थावर संपत्ति के अंतरणों को विश्वविद्यालय की ओर से प्रतिगृहीत करना;

(पंद्रह) वित्त, लेखा एवं निवेशों का प्रबंधन एवं विनियमन करना;

(सोलह) निम्नलिखित को संस्थित करना तथा उनका प्रबंध करना:

(क) मुद्रण, प्रकाशन और अनुवाद ब्यूरो;

(ख) सूचना ब्यूरो;

(ग) नियोजन ब्यूरो;

(सत्रह) निम्नलिखित के लिए व्यवस्था करना -

(एक) बहिर्वर्ती (एक्सट्राम्यूरल) अध्यापन तथा गवेषणा;

(दो) विश्वविद्यालय विस्तार संबंधी क्रियाकलाप;

(तीन) इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार दूरवर्ती शिक्षा -

(क) शारीरिक प्रशिक्षण;

(ख) विद्यार्थी कल्याण;

(ग) खेलों तथा व्यायाम संबंधी क्रियाकलाप;

(घ) समाज सेवा स्कीमें; और

(ङ) राष्ट्रीय कैडेट कोर;

(अठारह) विद्यापरिषद की समस्त प्रस्थापनाओं की बजट के ढाँचे के भीतर उनके निष्पादन की दृष्टि से समीक्षा करना;

(उन्नीस) राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से ऐसे आचार्य पदों, उपाचार्य पदों, प्राध्यापक पदों या अन्य अध्यापन पदों को संस्थित करना ;

(बीस) राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से प्रशासनिक, लिपिक वर्गीय तथा अन्य पदों का सृजन करना;

(इक्कीस) विश्वविद्यालय के किन्हीं आचार्य पदों, उपाचार्य पदों, प्राध्यापक पदों या अन्य अध्यापन पदों को समाप्त करना या निलंबित करना;

(बाइस) महाविद्यालयों, अध्यापन-विभागों, गवेषण या विशेषित अध्ययन संस्थाओं, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों, संग्रहालयों तथा छात्रनिवासों की स्थापना करना, उन्हें संधारित करना तथा उनका प्रबंध करना;

(तेइस) विश्वविद्यालयों के ऐसे अध्यापकों के लिए जिन्हें कि विश्वविद्यालय द्वारा वेतन दिया जाता हो आवास स्थान की व्यवस्था करना;

(चौबीस) संबद्ध महाविद्यालयों तथा मान्यता प्राप्त संस्थाओं के निरीक्षण का इंतजाम करना तथा उनके निरीक्षण के लिए निर्देश देना और उनकी दक्षता बनाए रखने तथा उनके कर्मचारीवृन्द के सदस्यों के लिए नियोजन के उचित शर्तों को तथा पर्याप्त वेतनों के संदाय को सुनिश्चित करने के लिए अनुदेश जारी करना और ऐसे अनुदेशों की अवहेलना की जाने की दशा में संबद्ध करने या मान्यता देने की या ऐसे अन्य उपाय करने की, जिन्हें कि वह उस संबंध में आवश्यकता तथा उचित समझे, शर्तों में विद्यापरिषद् की सिफारिश पर उपांतरण करना;

(पच्चीस) एक महाविद्यालय संहिता, उसमें महाविद्यालयों को संबद्ध किए जाने संबंधी निबंधन तथा शर्तें अधिकथित करते हुए तैयार करना;

(छब्बीस) संबद्ध महाविद्यालयों, मान्यता प्राप्त संस्थाओं से रिपोर्ट-विवरणियाँ तथा अन्य जानकारी मँगवाना;

(सत्ताइस) विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के प्रवेश, निवास स्थान आचरण तथा अनुशासन का पर्यवेक्षण करना तथा नियंत्रण करना और उनके स्वास्थ्य तथा सामान्य कल्याण में अभिवृद्धि करने के लिए इंतजाम करना;

(अट्ठाइस) परिनियमों द्वारा विहित की गई रीति में सम्मानित उपाधियाँ तथा विद्यासंबंधी विशिष्टताएँ प्रदान करने की कुलाधिपति से सिफारिश करना;

(उनतीस) परिनियमों द्वारा विहित की गई रीति में उपाधियाँ, उपाधिपत्रों, प्रभाणपत्रों तथा विद्यासंबंधी अन्य विशिष्टताएँ प्रदान करना या उनका प्रत्याहरण करना;

(तीस) अध्येतावृत्तियाँ, छात्रवृत्तियाँ, अध्ययन वृत्तियाँ, छात्र-सहायता बृत्तियाँ पदक तथा पारितोषिक संस्थित करना;

(इकतीस) इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा अन्यथा उपबंधित के सिवाय विश्वविद्यालय के अधिकारियों जो कुलपति से भिन्न हो, अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति करना। उनके कर्तव्य और उनकी सेवाशर्तें परिनिश्चित करना और उनके पदों में होने वाली अस्थायी रिक्तियों को भरने की व्यवस्था करना;

(बत्तीस) विश्वविद्यालय के अध्यापन, प्रशासनिक तथा लिपिक वर्गीय कर्मचारीवृन्द के सदस्यों में अनुशासन का विनियमन तथा प्रवर्तन परिनियमों तथा अध्यादेशों के अनुसार करना ;

(तैंतीस) किसी संबद्ध महाविद्यालय या मान्यता प्राप्त संस्था के कर्मचारीवृंद के सदस्य को विश्वविद्यालय के अध्यापक के रूप में मान्यता देना और ऐसी मान्यता का प्रत्याहरण करना;

(चौंतीस) परीक्षकों का पारिश्रमिक नियत करना और विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं तथाअन्य जाँचों (टेस्ट्स) के संचालन का तथा उनके परिणामों को प्रकाशित करने का इंतजाम करना;

(पैंतीस) अनाचार (मालप्रेक्टिस) की दिशा में परीक्षाओं को अंशतः या पूर्णतः रद्द करना तथा ऐसे अनाचार के दोषी पाए गए किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह या संस्थाओं के विरूद्ध कार्यवाही, जिसके अंतर्गत निष्कासन (रेस्टीगेशन) आता है, करना;

(छत्तीस) विश्वविद्यालय में नामांकित विद्यार्थियों जिनके अंतर्गत किन्हीं भी परीक्षाओं के अभ्यार्थी आते हैं, के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही करना;

(सैंतीस) कर्मचारीवृन्द के विरूद्ध तथा अंतरीक्षकों (इन्वीजीलेटर्स), परीक्षकों आदि के रूप में नियुक्त किए गए व्यक्तियों के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही करना;

(अड़तीस) ऐसी फीस तथा अन्य प्रभार जो अध्यादेशों द्वारा विहित किए जाए की जाँच नियत करना, उनकी माँग करना और उन्हें प्राप्त करना;

(उनतालीस) अध्यादेश बनाना, उनमें संशोधन करना और उन्हें रद्द करना;

(चालीस) विद्यापरिषद् द्वारा विरचित विनियमों को प्रतिगृहीत करना, अस्वीकार करना या विद्यापरिषद् की ओर विचारार्थ वापस करना किंतु उनमें संशोधन न करना;

(इकतालीस) कर्मचारियों तथा विद्यार्थियों के व्यथा निवेदनों को ग्रहण करना उन्हें न्यायनिर्णीत करना और यदि ठीक समझा जाय तो उनके संबंध में प्रतितोष देना;

(बयालीस) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना और ऐसे अन्य कर्त्तव्यों का पालन करना जैसे कि इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उसे प्रदत्त की जाए या उस पर अधिरोपित किए जाए:

(तैंतालीस) ऐसी समस्त अन्य शक्तियों का जो अन्यथा उपबंधित न की गई हों तथा जो इस अधिनियम या परिनियमों के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए अपेक्षित हों, प्रयोग करना।

(चवालीस) अपनी कोई भी शक्तियाँ विश्वविद्यालय के कुलपति, कुलसचिव या ऐसे अन्य अधिकारी को या उसके द्वारा नियुक्त की गई किसी समिति को, जिसे कि वह उचित समझे, विनियमों द्वारा प्रत्यायोजित करना।

(1) कुलाधिपति विश्वविद्यालय के लिए एक वित्तसमिति गठित करेगा, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात – वित्त समिति

(एक) विश्वविद्यालय का कुलपति, अध्यक्ष;

(दो) विश्वविद्यालय का कुलसचिव, सदस्य सचिव;

(तीन) केन्द्रों के संकायाध्यक्ष;

(चार) प्रमुख सचिव/सचिव, जनसंपर्कविभाग या उसका नाम निर्देशिती जो उपसचिव के पद से निम्न पद का न हो;

(पाँच) प्रमुख सचिव/सचिव, वित्तविभाग या उसका नाम निर्देशिती जो उपसचिव के पद से निम्न पद का न हो।

(छः) प्रमुख सचिव/सचिव, उच्च शिक्षाविभाग या उसका नाम निर्देशिती जो उपसचिव के पद से निम्न पद का न हो।

(2) वित्तसमिति, विश्वविद्यालय की वित्तव्यवस्था को नियंत्रित करेगी।

(3) इस अधिनियम के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए परिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों के अध्यधीन रहते हुए वित्तसमिति निम्नानुसार शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का निर्वहन करेगी –

(क) विश्वविद्यालय की आय और व्यय का पुनर्विलोकन करना;

(ख) विश्वविद्यालय के वित्तीय बजट का अनुमोदन वित्तीय वर्ष प्रारंभ होने के पूर्व करना और उसे अनुमोदन के लिए कार्यपरिषद् के समक्ष रखना और उसमें समय-समय पर संशोधित करने की सलाह देना;

(ग) विश्वविद्यालय के आय और व्यय के संबंध में प्रस्तावों को मंजूर करना और विनिश्चय करना;

(घ) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखे और वार्षिक संपरीक्षा को समय पर पूरा करवाना और रिपोर्ट के प्रकाश में समुचित निर्देश देना;

(4) चार सदस्यों से गणपूर्ति होगी, जिसमें कुलपति तथा उपधारा (1) के खण्ड (सात) या (आठ) में से एक सदस्य की उपस्थिति अनिवार्य होगी।

विद्या परिषद्

25. (1) विद्यापरिषद् का गठन निम्नलिखित व्यक्तियों से मिलकर होगा, अर्थात् -

(एक) कुलपति, अध्यक्ष;

(दो) कुलसचिव - सदस्य सचिव;

(तीन) संकायाध्यक्ष;

(चार) अध्ययन बोर्डों के अध्यक्ष (चेयरपर्सन)

(पाँच) विश्वविद्यालयों के सभी विभागों के विभागाध्यक्ष;

(छः) संचार की किसी भी शाखा का एक शिक्षक जो कुलपति द्वारा नामांकित हो;

(सात) संचार के क्षेत्र का एक विख्यात व्यवसायी, जो कुलाधिपति द्वारा नाम निर्देशित किया जाएगा;

(आठ) अध्ययन केंद्रों के दो आचार्य (चक्रानुक्रम के आधार पर);

(नौ) विश्वविद्यालय के अध्यापन विभाग/अध्ययन केंद्रों के दो उपाचार्य/व्याख्याता जो मद (3), (4) एवं (5) से भिन्न हों जो कुलपति द्वारा चक्रानुक्रम से नाम निर्दिष्ट किए जाएँगे।

(2) पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्यों की पदावधि चार वर्ष होगी;

विद्या परिषद् की शक्तियाँ

26. (1) विद्यापरिषद् को इस अधिनियम, परिनियमों तथा अध्यादेशों द्वारा उसमें निहित समस्त अन्य शक्तियों के अतिरिक्त निम्नलिखित शक्तियाँ होंगी तथा वह निम्नलिखित कर्तव्यों का पालन करेगी, अर्थात् -

(एक) विश्वविद्यालय की विद्यासंबंधी नीतियों पर सामान्य पर्यवेक्षण करना तथा शिक्षण के तरीकों के संबंध में ऐसे महाविद्यालयों तथा ऐसी संस्थाओं में, जिन्हें कि विश्वविद्यालय द्वारा संधारित किया जाता हो या जिन्हें विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार दिये गये हों, सहकारी अध्यापन के संबंध में गवेषण के मूल्यांकन के संबंध में या विद्या संबंधी स्तर विषयक सुधारों के संबंध में निर्देश देना;

(दो) या तो स्वप्रेरणा पर या संकाय या कार्यपरिषद् द्वारा किये गये निर्देश पर विद्या संबंधी सामान्य हित के विषयों के संबंध में विचार करना और उन पर समुचित कार्यवाही करना;

(तीन) संकायों को विभाग आबंटित करने के लिए प्रस्थापना करना और अधिसदस्यों (फेलोज) को तथा उसके अपने सदस्यों को संकायों के लिए नियत करना;

(चार) अध्येतावृत्तियों, छात्रवृत्तियों, अध्ययनवृत्तियों, छात्र-सहायतावृत्तियों, पदकों तथा पारितोषिकों को संस्थित करने के लिए प्रस्थापना करना और उनके प्रदान किए जाने के लिए नियम बनाना;

(पाँच) किसी शिक्षण संस्था को विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार दिए जाने संबंधी आवेदन पर विचार करना;

(छः) व्यक्तियों की विश्वविद्यालय के अध्यापकों के रूप में मान्यता देने के लिए अर्हताएँ विहित करना तथा ऐसी मान्यता प्रदान करना;

(सात) परीक्षाओं के संचालन के लिए इंतजाम करना तथा परीक्षाफल तैयार करने एवं ऐसे परीक्षाफल कार्यपरिषद् को प्रकाशनार्थ प्रतिवेदन करने के लिए परीक्षाफल समितियों की नियुक्ति करना जिनमें उसके अपने सदस्य या अन्य व्यक्ति या दोनों जैसा कि वह उचित समझे होंगे;

(आठ) किसी विषय में प्रख्यात व्यक्तियों को इस प्रयोजन से मान्यता देना कि वे उस विषय में गवेषणा के संबंध में पथप्रदर्शन करें।

(2) विद्यापरिषद् एक स्थायी समिति की नियुक्ति कर सकेगी जिसमें कि उसके (विद्यापरिषद् के सदस्य होंगे;

उक्त स्थायी समिति के गठन शक्तियों तथा कृत्यों का अवधारण परिनियमों द्वारा किया जाएगा।

27. (1) प्रत्येक विषय के लिए या विषयों के समूह के लिए जैसा कि परिनियमों द्वारा विहित किया जाए, एक अध्ययन बोर्ड होगा। अध्ययन बोर्ड

(2) प्रत्येक बोर्ड में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे -

(एक) उक्त विषयों के जिनके लिए बोर्ड का गठन किया गया हो, विश्वविद्यालयीन अध्यापन विभागों के आचार्य;

(दो) विश्वविद्यालयीन अध्यापन विभागों तथा प्राध्ययन केन्द्रों में से एक उपाचार्य जो उक्त विषयों का अध्यापन करता हो, जो कुलपति द्वारा ज्येष्ठता के अनुसार चक्रानुक्रम के आधार पर नाम निर्दिष्ट किया जाएगा;

(तीन) अध्यापन विभाग का एक प्राध्यापक जो उक्त विषयों का अध्यापन करता हो जो कुलपति द्वारा ज्येष्ठता के अनुसार चक्रानुक्रम के आधार पर नाम निर्देशित किया जाएगा;

(चार) विषयों के विभागाध्यक्ष;

(पाँच) एक विद्यार्थी जो परिनियमों में अभिकथित की गई अर्हताएँ रखता हो, जो कुलपति द्वारा एक वर्ष के लिये नियुक्त किया जाएगा;

(छः) दो सदस्य, जो बोर्ड द्वारा सहयोजित किये जायेंगे, उनमें से विश्वविद्यालय से बाहर का कोई विशेषज्ञ होगा।

(3) अध्ययन बोर्ड का अध्यक्ष कुलपति द्वारा बोर्ड के सदस्यों में से जो उपधारा (2) के खंड (एक) में निर्दिष्ट किये गये हैं नाम निदेर्शित किया जाएगा -

परंतु यदि खंड (एक) के अधीन का कोई सदस्य न हो तो अध्यक्ष कुलपति द्वारा बोर्ड के उपधारा (2) के खंड (दो) तथा (चार) के अधीन के सदस्यों में से नाम निर्दिष्ट किया जाएगा।

(4) अध्ययन बोर्ड की अवधि तीन वर्ष होगी ;

(5) अध्ययन बोर्ड को ऐसी शक्तियाँ होंगी तथा वह ऐसे कृत्यों का पालन करेगा जो कि परिनियमों द्वारा विहित किए जाएँ/ की जाए;

अध्याय -- पाँच
वित्त

28. (1) विश्वविद्यालय एक निधि स्थापित करेगा, जो कि विश्वविद्यालय निधि कहलायेगी। विश्वविद्यालय निधि

(2) निम्नलिखित विश्वविद्यालय निधि के भाग होंगे या उसमें संदत्त किये जाएँगे -

(क) केन्द्रीय या राज्य सरकार या किसी निगमित निकाय द्वारा किया गया भाटक, अभिदाय या अनुदान;

(ख) न्यास, वसीयत, दान, विन्यास (एण्डाउमेंट्स) तथा अन्य अनुदान यदि कोई हो;

(ग) समस्त स्रोतों से हुई विश्वविद्यालय की आय, जिसके अंतर्गत फीस तथा प्रभारों से प्राप्त आयआती है;

(घ) विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त की गई समस्त अन्य राशियाँ।

(3) विश्वविद्यालय निधि किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में रखी जायेगी।

(4) उक्त निधि का संचालन ऐसे प्रयोजन के लिए प्राधिकृत विश्वविधालय के कुलपति या कुलसचिव द्वारा ऐसी रीति में किया जाएगा जो कि विनियमों द्वारा विहित किये जाएँ।

29. (1) विश्वविद्यालय निधि का उपयोजन निम्नलिखित उद्देश्यों के लिये एवं निम्नलिखित क्रम से किया जाएगा। उद्देश्य जिनके लिए विश्वविद्यालय निधि का उपयोजन किया जा सकेगा

(क) इस अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए परिनियमों, अध्यादेशों तथा विनियमों के प्रयोजनों के लिये विश्वविद्यालय द्वारा उपगत किए गए ऋणों के प्रति संदाय के लिए;

(ख) विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित किए अध्यापन-विभागों, प्राध्ययन केन्द्रों, निवास-स्थान तथा छात्र-निवास के अनुरक्षण के लिए;

(ग) विश्वविद्यालय निधि की संपरीक्षा के खर्च के संदाय के लिये;

(घ) किन्हीं भी ऐसे वाद या कार्यवाहियों के, जिनमें कि विश्वविद्यालय एक पक्षकार हो, व्ययों के लिए;

(ङ) विश्वविद्यालय के अधिकारियों तथा कर्मचारियों के वेतन तथा भत्तों के संदाय के लिये और इस अधिनियम के प्रयोजनों को अग्रसर करने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा संधारित अध्यापन विभागों तथा प्राध्ययन केन्द्रों में नियोजित किये गये अध्यापकवृन्द के सदस्यों के वेतनों तथा भत्तों के संदाय के लिए और किन्हीं भी ऐसे अधिकारियों तथा कर्मचारियों, अध्यापकवृन्द के सदस्यों को या ऐसी स्थापनाओं के सदस्यों को किसी भविष्य निधि के अभिदायों, उपादान तथा अन्य फायदों के संदाय के लिये;

(च) महापरिषद्, कार्य-परिषद् तथा विद्यापरिषद् के सदस्यों और विश्वविद्यालय के किन्हीं अन्य प्राधिकारियों के सदस्यों या इस अधिनियम तथा उसके अधीन बनाये गये परिनियमों, अध्यादेशों तथा विनियमों के किसी भी उपबंध के अनुसरण में विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों में से किसी भी प्राधिकारी द्वारा नियुक्त किसी समिति या किसी बोर्ड के सदस्यों के यात्रा-भत्तों तथा अन्य भत्तों के संदाय के लिये;

(छ) विद्यार्थियों को अधिछात्रवृत्तियों, छात्रवृत्तियों, अध्ययनवृत्तियों के लिए तथा अन्य पुरस्कारों के संदाय के लिये;

(ज) इस अधिनियम तथा इसके अधीन बनाये गए परिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों के उपबंधों को कार्यान्वित करने में विश्वविद्यालय द्वारा उपगत किये गए किन्हीं भी व्ययों के संदाय के लिए;

(झ) पूर्ववर्ती खंडों में से किसी भी खंड में विनिर्दिष्ट न किये गये किसी ऐसे अन्य व्यय के, जो कि कार्यपरिषद् द्वारा विश्वविद्यालय के प्रयोजनों के लिए व्यय घोषित किया गया हो, संदाय के लिये;

(2) कार्यपरिषद् द्वारा वर्ष के कुल आवर्ती व्यय तथा कुल अनावर्ती व्यय के लिये नियत की गई सीमाओं से अधिक कोई भी व्यय विश्वविद्यालय द्वारा कार्यपरिषद् के पूर्व अनुमोदन के बिना उपगत नहीं किया जाएगा।

(3) उस व्यय से जिसका कि बजट में प्रावधान किया गया हो, भिन्न कोई भी व्यय विश्वविद्यालय द्वारा कार्यपरिषद् के पूर्व अनुमोदन के बिना, उपगत नहीं किया जाएगा।

वार्षिक लेखे तथा संपरीक्षा

30. (1) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखे कार्यपरिषद् के निदेश के अधीन तैयार किए जाएँगे।

(2) कार्यपरिषद् द्वारा महापरिषद् के अनुमोदन से नियुक्त किये गए स्थानीय संपरीक्षकों द्वारा विश्वविद्यालय के लेखाओं की संपरीक्षा की जाएगी।

(3) राज्य सरकार को यह निर्देश देने की शक्ति होगी कि लेखे की विशिष्ट संपरीक्षा की जाए;

(4) लेखाओं की संपरीक्षा हो जाने पर उनका प्रकाशन महापरिषद् द्वारा किया जायेगा और लेखाओं की प्रति, संपरीक्षा रिपोर्ट के साथ महापरिषद् के समक्ष रखी जायेगी और राज्य सरकार को भी प्रस्तुत की जाएगी।

वार्षिक रिपोर्ट

31. (1) विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट कुलपति द्वारा प्रतिवर्ष तैयार की जायेगी।

(2) तैयार की गई वार्षिक रिपोर्ट महापरिषद् के अनुमोदन हेतु उसके वार्षिक सम्मिलन में कार्यपरिषद् द्वारा प्रस्तुत की जाएगी।

(3) अनुमोदित वार्षिक रिपोर्ट की एक प्रति राज्य सरकार को प्रस्तुत की जायेगी। रिपोर्ट राज्य सरकार द्वारा उसके प्राप्त होने के यथा संभव शीघ्र राज्य विधानमंडल के समक्ष रखी जाएगी।

अध्याय – छः

समन्वय समिति, परिनियम, अध्यादेश तथा विनियम

32. इस विश्वविद्यालय का कुलपति छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्रमांक 22 सन् 1973) की धारा 34 के अधीन गठित समन्वय समिति का सदस्य होगा। — कुलपति समन्वय समिति का सदस्य होगा

33. इस अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए परिनियमों में निम्नलिखित समस्त विषयों या उनमें से किसी भी विषय के लिए उपबंध हो सकेंगे, अर्थात् – — परिनियम

(क) ऐसे निकायों का गठन, शक्तियाँ तथा कर्त्तव्य जिन्हें समय-समय पर गठित करना आवश्यक समझा जाय;

(ख) खण्ड (क) में निर्दिष्ट किये गये निकायों के सदस्यों के निर्वाचन या नियुक्ति की रीति और उनकी पदावधि जिसके अंतर्गत प्रथम सदस्यों का पद पर बना रहना तथा सदस्यों की रिक्तियों का भरा जाना आता है और उन निकायों से संबंधित अन्य समस्त विषय जिनके लिये उपबंध करना आवश्यक या वांछनीय हो;

(ग) कुलपति की उपलब्धियाँ और उसकी सेवा के अन्य निबंधन तथा शर्तें, उसकी शक्तियाँ तथा कर्त्तव्य;

(घ) कुलसचिव एवं विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों तथा कर्मचारियों की शक्तियाँ तथा कर्तव्य और उनकी सेवा की शर्तें;

(ङ) विश्वविद्यालय के अधिकारियों, अन्य कर्मचारियों के फायदे के लिए पेंशन या भविष्यनिधि का गठन और बीमा स्कीम की स्थापना तथा उपादान एवं अन्य फयदों का उपबंध;

(च) उपाधियाँ प्रदान करने के लिए दीक्षांत समारोह किया जाना;

(छ) सम्मानित उपाधियों का प्रदान किया जाना;

(ज) उपाधियों, उपाधिपत्रों, प्रमाणपत्रों तथा विद्या-संबंधी अन्य विशिष्टताओं का प्रत्याहरण;

(झ) विश्वविद्यालय द्वारा संधारित संकायों, छात्र-निवासों, महाविद्यालयों, अध्यापन-विभागों, प्राध्ययन केन्द्रों तथा संस्थाओं का स्थापन तथा उनकी समाप्ति;

(ञ) वे शर्तें जिनके अधीन महाविद्यालयों तथा अन्य संस्थाओं को विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार दिये जा सकेंगे और ऐसे विशेषाधिकारों का प्रत्याहरण;

(ट) विश्वविद्यालयीन अध्यापन विभागों, प्राध्ययन केन्द्रों या महाविद्यालयों को प्राप्त हो सकने वाली स्वायत्तता की सीमा और वे विषय जिनके कि संबंध में ऐसी स्वायत्तता का प्रयोग किया जा सकेगा;

(ठ) संबद्ध महाविद्यालयों तथा मान्यता प्राप्त संस्थाओं के आचार्यों, उपाचार्यों, प्राध्यापकों तथा अन्य अध्यापकों की अर्हतायें;

(ड) विन्यासों (एण्डाउमेंट्स) का प्रबंध और अध्येतावृत्तियों, छात्रवृत्तियों, अध्ययनवृत्तियों, छात्रसहायता वृत्तियों (एबजीबिशन्स), वजीफों (बर्सरीज), पदकों, पारितोषिकों तथा अन्य पुरस्कारों का संस्थित किया जाना;

(ढ) इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए वरिष्ठता, निर्धारण की प्रक्रिया का ढंग;

(ण) रजिस्ट्रीकृत स्नातकों के रजिस्टर का बनाये रखा जाना ;

(त) हिन्दी प्रकाशन तथा अनुवाद ब्यूरो की स्थापना तथा गठन; और

(थ) ऐसे समस्त अन्य विषय जो इस अधिनियम के अनुसार और परिनियमों द्वारा उपबंधित किये जाने हैं;

34. (1) प्रथम परिनियम राज्य शासन द्वारा बनाया जावेगा तथा राज्य शासन प्रथम परिनियम में यथा आवश्यक संशोधन करेगा। — परिनियम कैसे बनाए जाएंगे

(2) प्राधिकारी इसके पश्चात् आने वाली रीति में किसी परिनियम को समय-समय पर बना सकेगी उसे संशोधित या निरस्त कर सकेगी।

(3) प्राधिकारी स्वप्रेरणा से या अन्यथा परिनियम के प्रारूप पर विचार करेगी; परंतु यह खण्ड विश्वविद्यालय के कुलपति, कुलसचिव व अन्य अधिकारियों की परिलब्धियों पर प्रभाव डालने वाले परिनियम पर लागू नहीं होगा।

(4) इस खण्ड के अंतर्गत प्राधिकारी द्वारा प्रस्तावित प्रारूप कार्यपरिषद् को विचार हेतु भेजा जाएगा और कार्यपरिषद् द्वारा व्यक्त ऐसे विचार जो कि ऐसे समय के भीतर जो कुलाधिपति तय करे व तीस दिन से कम न हो, कुलाधिपति प्रारूप को परिवर्तित या अपरिवर्तित स्वरूप में अनुमोदित कर सकेगा।

(5) जहाँ प्रारूप कार्यपरिषद् द्वारा प्रस्तावित किया गया हो वहाँ कुलाधिपति ऐसे प्रारूप को अनुमोदन कर परिनियम को पारित कर सकेगा या उसे अस्वीकार कर पूर्ण रूप से या अंशतः उसमें संशोधन के सुझाव सहित कार्यपरिषद् को पुनर्विचार के लिए वापस कर सकेगा।

(6) इसके पश्चात् कि उपखण्ड (5) के अधीन वापस किये गये किसी प्रारूप पर तथा कुलाधिपति द्वारा सुझाये गये किसी संशोधन पर कार्यपरिषद् द्वारा विचार किया जा चुका हो, वह कार्यपरिषद् की तत्संबंधी प्रतिवेदन को कुलाधिपति के समक्ष पुनः उपस्थापित किया जावेगा और कुलाधिपति परिनियम को अनुमोदित कर सकेगा या अस्वीकार कर सकेगा।

(7) कुलाधिपति किसी परिनियम के या परिनियम के किसी संशोधन के या किसी परिनियम के निरसन के ऐसे प्रारूप पर, जो विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी की प्रास्थिति, शक्ति या गठन पर प्रभाव डालता हो, विचार तब तक नहीं करेगी और कार्यपरिषद् उस प्रारूप की प्रस्थापना तब तक नहीं करेगी जब तक कि ऐसे प्राधिकारी को उस प्रस्थापना पर राय प्रकट करने कर अवसर न दे दिया गया हो।

(8) जहाँ कुलाधिपति परिनियमों को अनुमोदित कर दे, वहाँ वे उस तारीख से प्रभावी हो जावेंगे जिसे कि कुलाधिपति विनिर्दिष्ट करे।

अध्यादेश 35. (1) इस अधिनियम तथा परिनियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, अध्यादेशों में निम्नलिखित समस्त विषयों या उनमें से किसी विषय के लिए उपबन्ध हो सकेंगे अर्थात् –

(क) छात्रों का प्रवेश, कक्षाओं के पाठ्यक्रम एवं उसके शुल्क, उपाधि, डिप्लोमा, प्रमाण-पत्र व अन्य पाठ्यक्रमों हेतु अर्हताएँ, छात्रवृत्ति, पुरस्कार व अन्यों के लिए शर्तें;

(ख) परीक्षाओं के संचालन जिसमें परीक्षकों एवं अनुसमीक्षकों की नियुक्ति की शर्तें सम्मिलित हैं;

(ग) कोई अन्य विषय जो इस अधिनियम या परिनियमों के अनुसार अध्यादेशों द्वारा उपबंधित किये जा सकें।

(2) प्रथम अध्यादेश राज्य शासन के पूर्वानुमोदन से कुलपति द्वारा बनाया जावेगा और ऐसा अध्यादेश, कार्यपरिषद् द्वारा किसी समय जैसा कि परिनियमों में निहित किया जावे संशोधित, निरसित या बदला जा सकेगा।

विनियम 36. (1) विश्वविद्यालय के प्राधिकारी अपने स्वयं के या कोई समिति जिसका उसने गठन किया है और जिसके कामकाज हेतु अधिनियम, परिनियम व अध्यादेश में प्रावधान न हो परिनियम के अनुसार अपने कामकाज हेतु विनियम बना सकेगा जो कि अधिनियम, परिनियम व अध्यादेश से संगत हों।

(2) ऐसा बनाया गया विनियम कुलाधिपति के समक्ष अनुमोदन हेतु रखा जावेगा व अनुमोदन की तिथि से प्रभावशील होगा।

अध्याय – सात
विद्यार्थियों का प्रवेश एवं परीक्षकों की नियुक्ति

विश्वविद्यालयीन पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश 37. कोई भी विद्यार्थी किसी उपाधि या पत्रोपाधि पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक उसके पास ऐसी अर्हताएँ न हो जो अध्यादेशों द्वारा विहित की जाएँ।

परीक्षक तथा अनुसमीक्षकों (माडरेटर्स की नियुक्ति) 38. (1) परिनियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए समस्त परीक्षक तथा परीक्षा के प्रश्नों के अनुसीमक (माडरेटर्स) कुलपति द्वारा उस समिति के परामर्श से नियुक्त किये जायेंगे

जिसमें कि निम्नलिखित सदस्य होंगे -

(एक) संबंधित संकाय का संकायाध्यक्ष जो उस समिति का अध्यक्ष होगा;

(दो) संबंधित अध्ययन बोर्ड का अध्यक्ष;

(तीन) संबंधित अध्ययन बोर्ड का एक सदस्य जो उस प्रयोजन के लिये कुलपति द्वारा नाम निर्देशित किया जायेगा।

(2) यदि परीक्षा के दौरान कोई परीक्षक किसी कारण से उस रूप में कार्य करने में असमर्थ हो जाए, तो कुलपति उस रिक्ति को भरने के लिये परीक्षक की नियुक्ति करेगा।

अध्याय - आठ

विश्वविद्यालय में अध्यापन पदों पर नियुक्ति

39. (एक) कोई भी व्यक्ति - आचार्य, उपाचार्य या व्याख्याता के रूप में; या अध्यापकों की नियुक्ति

(दो) विश्वविद्यालय के किसी अध्यापन पद पर धारा 40 की उपधारा (1) के अनुसार गठित की गई प्रवरण समिति की सिफारिश पर ही नियुक्त किया जायेगा अन्यथा नहीं।

परंतु यदि पूर्वोक्त अध्यापन पदों में से किसी भी पद पर की गई नियुक्ति के छः मास से अधिक काल तक चालू रहने की प्रत्याशा न हो और विश्वविद्यालय द्वारा संधारित विभाग या संस्था के हित के उपाय के बिना उसमें विलम्ब न किया जा सकता हो, तो कार्यपरिषद् धारा 40 की उपधारा (1) के अधीन गठित की गई प्रवरण समिति की सिफारिश अभिप्राप्त किये बिना ही ऐसी नियुक्ति कर सकेगी, किन्तु इस प्रकार नियुक्त किये गये व्यक्ति को प्रवरण समिति की सिफारिश पर के सिवाय, उसी पद पर छः मास से अधिक की कालावधि के लिये नहीं रखा जायेगा या विश्वविद्यालय की सेवा में के किसी अन्य पद पर नियुक्त नहीं किया जायेगा।

40. (1) प्रवरण समिति के निम्नलिखति सदस्य होंगे - प्रवरण समिति

(एक) कुलपति - अध्यक्ष

(दो) संबद्ध विषय में विश्वविद्यालय विभाग/ केन्द्र का प्रमुख यदि वह आचार्य है या जहाँ संबद्ध विषय में विश्वविद्यालय विभाग का प्रमुख आचार्य नहीं हो या आचार्य के पद के लिए प्रवरण किया जाना हो तो संबद्ध संकाय का संकायाध्यक्ष

(तीन) विषय में तीन विशेषज्ञों की विद्यापरिषद् द्वारा प्रस्तुत की गई पैनल में से एक विशेषज्ञ जो किसी भी रीति में विश्वविद्यालय से संशक्त न हो, कुलाधिपति द्वारा नाम निर्देशित किया जायेगा।

(चार) विषय में पाँच विशेषज्ञों की विद्यापरिषद् द्वारा प्रस्तुत की गई पैनल में से तीन विषयविशेषज्ञ जो किसी भी रीति में विश्वविद्यालय से संबंधित न हो, कुलाधिपति द्वारा नाम निर्देशित किया जाएगा।

(2) प्रवरण समिति के तीन सदस्यों से गणपूर्ति होगी।

(3) समिति विभिन्न अभ्यार्थियों के गुणागुण का अन्वेषण करेगी और कार्यपरिषद् को उन व्यक्तियों के जिन्हें कि वह पदों के लिए उपयुक्त समझती हो नामों की यदि कोई हो; उन्हें गुणानुक्रम में लगाकर सिफारिश करेगी।

परंतु कोई भी सिफारिश तब तक नहीं की जाएगी, तब तक कि उस सम्मिलन में, जिसमें कि ऐसी सिफारिश के बारे में विनिश्चय किया जाए उपधारा (1) के खंड (तीन) तथा (चार) के अधीन नाम निर्देशित किए गए विशेषज्ञों में से कम से कम दो विशेषज्ञ उपस्थित न हों।

(4) कार्यपरिषद् उपधारा (3) के अधीन इस प्रकार सिफारिश किए गए नामों से से व्यक्तियों की नियुक्ति कुलाधिपति के अनुमोदन से गुणानुक्रम के अनुसार करेगी।

41. विश्वविद्यालय के अध्यापकों के जिन्हें कि विश्वविद्यालय द्वारा वेतन दिया जाता है, उन वेतनमानों के अनुसार होगा जो कार्यपरिषद् द्वारा राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से अध्यादेश द्वारा नियत किए गए हों; अध्यापकों का वेतन

अध्याय – नौ
आपात उपबंध

राज्य सरकार कतिपय परिस्थितियों में वित्तीय नियंत्रण ग्रहण करेगी

42. (1) यदि राज्य सरकार का यह समाधान हो जाये कि विश्वविद्यालय में कुप्रशासन या वित्तीय कुप्रबंध के कारण ऐसी स्थिति उद्भूत हो गई है कि जिसमें विश्वविद्यालय की वित्तीय स्थिरता असुरक्षित हो गई है तो वह अधिसूचना द्वारा यह घोषित कर सकेगी कि विश्वविद्यालय की वित्तव्यवस्था राज्य सरकार के नियंत्रण के अध्यधीन होगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना, प्रथमत: ऐसी तारीख से जो कि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की गई हो, एक वर्ष का कालावधि के लिए प्रवर्तन में रहेगी और राज्य सरकार समय-समय पर वैही ही अधिसूचना द्वारा प्रवर्तन की कालावधि को ऐसी और कालावधि के लिये जैसी कि वह उचित समझे बढ़ा सकेगी, परंतु प्रवर्तन की कुल कालावधि तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(3) उपधारा (1) के अधीन जारी की गई अधिसूचना के प्रवर्तन में रहने की कालावधि के दौरान, राज्य सरकार के कार्यपालिक प्राधिकार का विस्तार उस सीमा तक रहेगा कि वह कथित विश्वविद्यालय को ऐसे निर्देश दे कि वह वित्तीय औचित्य के ऐसे नियमों का, जो कि निर्देश में विनिर्दिष्ट हो, अनुपालन करे और ऐसे अन्य निर्देश दे, जिन्हें राज्य सरकार उस प्रयोजन के लिए आवश्यक तथा पर्याप्त समझे।

(4) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी किसी ऐसे निर्देश के अंतर्गत कोई ऐसा उपबंध आ सकेगा।

(एक) जिसमें यह अपेक्षा की जाये कि बजट मंजूरी के लिये राज्य सरकार को प्रस्तुत किया जाय;

(दो) जिसमें विश्वविद्यालय से यह अपेक्षा की जाये कि वह प्रत्येक ऐसी प्रस्थापना, जिसमें वित्तीय विवक्षाएँ अन्तर्वलित होती हो, मंजूरी के लिये राज्य सरकार को प्रस्तुत करे;

(तीन) जिसमें यह अपेक्षा की जाये कि विश्वविद्यालय द्वारा नियोजित किये गये अधिकारियों, अध्यापकों तथा अन्य व्यक्तियों के वेतनमान तथा भत्तों की दरों के पुनरीक्षण संबंधी प्रत्येक मंजूरी के लिये राज्य सरकार को प्रस्तुत की जाय;

(चार) जिसमें यह अपेक्षा की जाए कि विश्वविद्यालय की सेवाओं में के समस्त व्यक्तियों या उनके किसी वर्ग के वेतनों तथा भत्तों में कमी की जाए;

(पाँच) जिसमें यह अपेक्षा की जाए कि वेतनमानों को तथा भत्तों की दरों को नीचा किया जाए;

परंतु कुलाधिपति यदि आवश्यक समझे शिक्षाविद् तथा प्रशासनिक विशेषज्ञ तथा वित्तीय विशेषज्ञ को लेकर एक समिति नियुक्त करेगा जो कुलपति को ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कर्तव्यों के पालन में सहायता कर सकेगा।

(5) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी विश्वविद्यालय के प्रत्येक प्राधिकारी तथा विश्वविद्यालय के प्रत्येक अधिकारी के लिये यह आबद्धकर होगा कि वह इस धारा के अधीन दिये गये निदेश को कार्यान्वित करे।

(6) विश्वविद्यालय का प्रत्येक अधिकारी इस धारा के अधीन दिये गये निदेश के अननुपालन के परिणामस्वरूप विश्वविद्यालय की किसी निधि या सम्पत्ति के दुरूपयोजन के लिये जिसका कि वह एक पक्षकार रहा हो या जो ऐसे अधिकारी के रूप में उसके कर्त्तव्यों की घोर उपेक्षा के कारण घटित हुआ हो, वैयक्तिक रूप से दायी होगा और इस प्रकार उपगत हुई हानि, सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, जनसंपर्क-विभाग द्वारा जारी किये गये प्रमाण-पत्र पर, ऐसे अधिकारी से भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल की जायेगी।

परंतु हानि की रकम भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल किये जाने की कोई भी कार्यवाही तब तक नहीं की जायेगी जब तक कि स्पष्टीकरण देने का युक्तियुक्त अवसर संबंधित व्यक्ति को न दे दिया गया हो, और ऐसे स्पष्टीकरण पर राज्य सरकार द्वारा विचार न कर लिया गया हो।

43. (1) यदि राज्य सरकार को किसी रिपोर्ट के प्राप्त होने पर या अन्यथा यह समाधान हो जाय कि ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई है कि जिसमें विश्वविद्यालय का प्रशासन, विश्वविद्यालय के हितों का उपाय किये बिना, इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता, और यह कि वैसा करना विश्वविद्यालय के हित में समीचीन है, तो वह अधिसूचना द्वारा, उसमें (अधिसूचना में) वर्णित किये जाने वाले कारणों से यह निर्देश दे सकेगी कि धारा 11, 12, 21, 24, 34, 35 तथा 41 उपबन्ध अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की गई तारीख से (जो इसमें इसके पश्चात् इस धारा में नियत तारीख के नाम से निर्दिष्ट है) विश्वविद्यालय को लागू होंगे। कतिपय परिस्थितियों में विश्वविद्यालय के बेहतर प्रशासन के लिये उपबन्ध करने की दृष्टि से अधिनियम को उपान्तिरित रूप में लागू करने की राज्य सरकार की शक्ति

(2) उपधारा (1) के अधीन जारी की गई अधिसूचना नियत तारीख से एक वर्ष की कालावधि तक के लिये प्रवर्तन में रहेगी और राज्य सरकार, समय-समय पर उस कालावधि में ऐसी और वृद्धि जैसी कि वह उचित समझें, इस प्रकार कर सकेगी कि जिससे अधिसूचना के प्रवर्तित रहने की कुल कालावधि तीन वर्ष से अधिक न हो जाय।

(3) कुलाधिपति, अधिसूचना के जारी किये जाने के साथ-साथ कुलपति को यथा उपान्तरित धारा 11 तथा 12 के अधीन नियुक्त करेगी और इस प्रकार नियुक्त किया गया कुलपति अधिसूचना के प्रवर्तित रहने की कालावधि के दौरान पद पर रहेगा।

परंतु कुलपति, अधिसूचना के प्रवर्तन की कालावधि का अवसान होने पर भी उसके पश्चात् तब तक पद-धारण किये रह सकेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी अपना पद-ग्रहण न कर लें, किन्तु यह कालावधि एक वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(4) नियत तारीख से निम्नलिखित परिणाम होंगे, अर्थात् -

(एक) कुलपति, जो नियत तारीख के अव्यवहित पूर्व पद-धारण किये हुए हो, इस बात के होते हुए भी कि उसकी पदावधि का अवसान नहीं हुआ है अपने पद को रिक्त कर देगा।

(दो) प्रत्येक व्यक्ति, जो नियत तारीख के अव्यवहित पूर्व यथास्थिति कार्यपरिषद् या विद्यापरिषद् के सदस्य के रूप में पद-धारण किये हुए हो उस पद पर नहीं रह जायेगा।

(तीन) जब तक यथास्थिति, कार्यपरिषद् या विद्यापरिषद् का यथा उपान्तरित उपबन्धों के अनुसार पुनर्गठन न हो जाए, तब तक कुलपति जो यथाउपान्तरित धारा 12 तथा 13 के अधीन नियुक्त किया गया हो, उन शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा उन कर्तव्यों का पालन करेगा जो कि कार्यपरिषद् या विद्यापरिषद् को इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त की गई हों या उन पर अधिरोपित किए गये हों।

परंतु कुलाधिपति यदि वह वैसा करना आवश्यक समझे, इस प्रकार नियुक्त किये गये कुलपति को ऐसी शक्तियों का प्रयोग करने में तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करने में सहायता देने के लिये एक ऐसी समिति की नियुक्ति कर सकेगा जिसमें कि एक शिक्षाविद्, एक प्रशासनिक विशेषज्ञ तथा एक वित्त-विशेषज्ञ होंगे।

(5) अधिसूचना के प्रवर्तन की कालावधि का अवसान होने के पूर्व या उसके अव्यवहित पश्चात् यथासाध्य शीघ्र, कुलपति, अधिनियम के अनुपान्तरित उपबन्धों के अनुसार, कार्यपरिषद् तथा विद्यापरिषद् का गठन करने के लिये कार्यवाही करेगा और इस प्रकार गठित की गई कार्यपरिषद् तथा विद्यापरिषद् अधिसूचना के प्रवर्तन की कालावधि का अवसान होने की तारीख के अव्यवहित पश्चात् आने वाली तारीख को या उस तारीख को, जिसको कि संबंधित निकायों का इस प्रकार गठन हो जाय, इन दोनों में से जो भी पश्चातवर्ती हो, कार्य करना प्रारंभ कर देगी।

परंतु यदि कार्यपरिषद् तथा विद्यापरिषद्, अधिसूचना के प्रवर्तन की कालावधि का अवसान होने के पूर्व गठित न की जाय तो कुलपति ऐसा अवसान हो जाने पर, इन प्राधिकारियों में से प्रत्येक प्राधिकारी की शक्तियों का प्रयोग राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के अध्यधीन रहते हुए उस समय तक करेगा जब तक कि यथास्थिति कार्यपरिषद् या विद्यापरिषद् का इस प्रकार गठन न हो जाय।

परिणाम जो धारा 43 के अधीन अधिसूचना के प्रवर्तन की कालावधि का अवसान होने पर होगा

44. धारा 43 के अधीन जारी की गई अधिसूचना के प्रवर्तन की कालावधि का अवसान होने पर, इस अधिनियम के उपबन्ध जैसे कि वे अधिसूचना में वर्णित विश्वविद्यालय को लागू होने के संबंध में उपान्तरित किये गये हैं, उसके संबंध में प्रवृत्त नहीं रहेंगे और इस अधिनियम के अन्य सुसंगत उपबन्ध पुनः प्रवर्तित हो जायेंगे तथा उसको लागू रहेंगे।

परंतु अधिसूचना के प्रवर्तन के अवसान का -

(क) यथा उपान्तरित उपबन्धों या उनके अधीन किये गये किसी आदेश के पूर्ववर्ती प्रवर्तन पर या उन उपबन्धों या उस आदेश के अधीन की गई या होने दी गई किसी बात पर प्रभाव नहीं पड़ेगा; या

(ख) यथाउपान्तरित उपबन्धों या उनके अधीन किये गये किसी आदेश के अधीन अर्जित, प्रोद्भूत या उपगत किसी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता या दायित्व पर प्रभाव नहीं पड़ेगा; या

(ग) यथापूर्वोक्त किसी ऐसे अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता या दायित्व के संबंध में किसी अन्वेषण या उपचार पर प्रभाव नहीं पड़ेगा और ऐसा अन्वेषण या उपचार इस प्रकार संस्थित या प्रवर्तित किया जा सकेगा मानो कि उपान्तरित उपबन्धों का लागू होना समाप्त नहीं हुआ हो।

अध्याय-दस
अनुपूरक उपबंध

विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों तथा निकायों का गठन संबंधी विवाद

45. यदि किसी अधिनियम या किसी परिनियम, अध्यादेश या विनियम के किन्हीं उपबंधों के निर्वचन के संबंध में या इस संबंध में कि क्या कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय के सदस्य के रूप में सम्यकरूपेण निर्वाचित या नियुक्त किया गया है या उसका सदस्य होने का हकदार है, कोई प्रश्न उद्भूत हो जाय तो मामला कुलाधिपति को निर्देशित किया जायेगा जिसका उस पर विनिश्चय अंतिम होगा।

परंतु कोई ऐसा विनिश्चय करने के पूर्व कुलाधिपति, स्वयं या उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट किया गया अधिकारी प्रभावित हुए व्यक्ति या व्यक्तियों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देगा।

स्पष्टीकरण 1 - इस धारा में अभिव्यक्त निकाय के अंतर्गत इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन गठित की गई कोई समिति आती है।

स्पष्टीकरण 2 - इस धारा में अभिव्यक्त नियुक्त किया गया के अंतर्गत विश्वविद्यालय के वैतनिक पदों पर की गई नियुक्तियाँ नहीं आएँगी।

समितियों का गठन

46. जहाँ विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी को इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा समितियाँ नियुक्त करने की शक्ति दी गई हो, वहाँ उन समितियों में, अन्यथा उपबंधित के सिवाय, संबंधित प्राधिकारी के सदस्य तथा ऐसे अन्य व्यक्ति यदि कोई हो जिन्हें प्राधिकारी प्रत्येक मामले में उचित समझे होंगे।

आकस्मिक रिक्तियों का भरा जाना

47. इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी समिति या अन्य निकाय के पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्यों में हुई समस्त आकस्मिक रिक्तियाँ यथाशक्य सुविधानुसार शीघ्रता से उस व्यक्ति या निकाय द्वारा भरी जाएँगी जिसने कि उस व्यक्ति को नाम निर्देशित, नियुक्त, निर्वाचित या सहयोजित किया हो और किसी आकस्मिक रिक्ति पर इस प्रकार नाम निर्देशित; नियुक्त, निर्वाचित या सहयोजित किया गया व्यक्ति ऐसे प्राधिकारी समिति या निकाय का उस अवधि के शेष काल के लिए सदस्य रहेगा जिसके लिये कि वह व्यक्ति, जिसके स्थान की उसने पूर्ति की हो, सदस्य रहा होता।

विश्वविद्यालय तथा निकायों की कार्यवाहियाँ रिक्तियों के कारण अविधिमान्य नहीं होगी

48. विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकारी, समिति या निकाय की कार्यवाही केवल इस कारण से अविधिमान्य नहीं होगी कि -

(क) उसमें कोई रिक्ति है या उसके गठन में कोई त्रुटि है; या

(ख) उसके सदस्य के रूप में कार्य करने वाले किसी व्यक्ति के निर्वाचन, नाम-निर्देशन या नियुक्ति में त्रुटि है; या

(ग) उसकी प्रक्रिया में कोई ऐसी अनियमितता है जो मामले के गुणागुण पर प्रभाव न डालती हो।

49. (1) विश्वविद्यालय का प्रत्येक वैतनिक अधिकारी या अध्यापक जिसे कि विश्वविद्यालय द्वारा वेतन दिया जाता हो, लिखित संविदा के अधीन जो कि विश्वविद्यालय में रखी जायेगी, नियुक्त किया जायेगा और उसकी एक प्रति संबंधित अधिकारी या अध्यापक को दी जायेगी। — सेवा की शर्तें

(2) सेवा संबंधी मामले से संबंधित कोई विवाद जो किसी विश्वविद्यालय और उसके वैतनिक कर्मचारियों में से किसी कर्मचारी के बीच हुई किसी संविदा से या अन्यथा उद्भूत होता है, कुलपति द्वारा न्यायनिर्णीत किया जायेगा और कुलपति के विनिश्चय के विरूद्ध कोई अपील कुलाधिपति को होगी, जो विवाद को स्वयं विनिश्चित करेगा या उसे उस प्रयोजन के लिये गठित किसी ऐसे अधिकरण को निर्देशित करेगा जिसके निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् -

(एक) सचिव, जनसंपर्क;

(दो) कोई व्यक्ति जो किसी विश्वविद्यालय का कुलपति हो या कुलपति रह चुका हो;

(तीन) कोई व्यक्ति जो राज्य सरकार का सचिव हो या सचिव रह चुका हो।

50. विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी, अध्यापक या अन्य कर्मचारी के विरूद्ध किसी भी ऐसी बात के लिये जो कि उसके द्वारा इस अधिनियम या परिनियमों या अध्यादेशों या विनियमों के अधीन सद्भावपूर्वक की गई हो या जिसका सद्भावपूर्वक किया जाना आशयित रहा हो, कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं होगी। — अधिनियमों तथा आदेशों का संरक्षण

कोई भी व्यक्ति विश्वविद्यालय में -

(क) तब तक शिक्षण नहीं देगा जब तक कि ऐसा व्यक्ति विद्यापरिषद् द्वारा उस संबंध में निर्धारित की गई अर्हतायें न रखता हो; और

(ख) ऐसे विषय या विषयों में तथा उसी स्तर तक जिसके लिये विद्यापरिषद् ने उसकी अर्हतायें अनुमोदित की हों, शिक्षण देगा, इसके सिवाय नहीं।

51. (1) महापरिषद्, कार्यपरिषद्, विद्यापरिषद् या किसी अन्य विश्वविद्यालयीन प्राधिकारी या समिति के पदेन सदस्य से भिन्न कोई सदस्य या संकाय का संकायाध्यक्ष कुलसचिव को संबोधित पत्र द्वारा अपना पद त्याग सकेगा तथा त्यागपत्र कुलसचिव द्वारा पत्र प्राप्त किए जाने के समय से ही प्रभावशील हो जायेगा। — विश्वविद्यालय के सदस्य या अधिकारी का त्याग-पत्र

(2) विश्वविद्यालय के संकायाध्यक्ष से भिन्न कोई भी अधिकारी चाहे वह वैतनिक हो या अन्यथा हो, कुलसचिव को सम्बोधित पत्र द्वारा अपना पद त्याग सकेगा। ऐसा त्यागपत्र उस तारीख से प्रभावी होगा जिसको कि वह उस प्राधिकारी द्वारा प्रतिगृहीत कर लिया जाय जो कि रिक्ति को भरने के लिए सक्षम हो।

52. (1) कोई भी व्यक्ति विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों में से किसी भी प्राधिकारी का सदस्य चुने जाने के लिये या होने के लिए निरर्हित होगा - — प्राधिकारी का सदस्य होने के लिये निरर्हता

(क) यदि वह विकृत चित्त का हो;

(ख) यदि वह बहरा हो, मूक हो या किसी सांसर्गिक रोग से पीड़ित हो;

(ग) यदि वह अनुन्मोचित दिवालिया हो;

(घ) यदि वह किसी अपराध के लिये सिद्ध दोष ठहराया गया हो जिसमें कि नैतिक अधमता अन्तर्वलित हो।

(2) यदि इस संबंध में कि क्या कोई व्यक्ति उपधारा (1) में वर्णित निरर्हताओं में से किसी निरर्हता के अध्यधीन है या रहा था कोई प्रश्न उद्भूत हो तो वह प्रश्न कुलाधिपति के

विनिश्चय के लिये निर्देशित किया जायेगा और उस पर उसका (कुलाधिपति का) विनिश्चय अंतिम होगा और ऐसे विनिश्चय के विरूद्ध किसी भी विधि न्यायालय में कोई वाद या अन्य कार्यवाही नहीं होगी।

विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या निकाय में से किसी सदस्य को हटाने की शक्ति

53. (1) कुलाधिपति कार्यपरिषद् के निवेदन पर किसी भी व्यक्ति का नाम विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या निकाय की सदस्यता पर से हटा सकेगा यदि वह -

(एक) घोर कदाचार का दोषी हो; या

(दो) ऐसा कार्य करता हो जो विश्वविद्यालय के हित पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला हो।

परंतु राज्य सरकार, प्रारंभिक जांच करवायेगी तथा यदि उसका यह समाधान हो जाये कि प्रथम दृष्टया मामला बनता हो तो वह यथास्थिति किसी प्राधिकारी या निकाय के सदस्य पर लिखित आरोप-पत्र की तामील करेगा जिसमें यथास्थिति कदाचार का या विश्वविद्यालय के हित पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कार्य का विवरण रहेगा।

(2) आरोप-पत्र के उत्तर पर जो कि उसके पास यथास्थिति विश्वविद्यालय के प्राधिकारी या निकाय के सदस्य द्वारा उपधारा (1) के अधीन भेजा गया हो, विचार करने के पश्चात् कुलाधिपति यदि वह समझता है कि आगे कि कार्यवाही आवश्यक है जाँच ऐसे अधिकरण को न्यस्त कर सकेगा जिसमें राज्य सरकार का नामनिर्दिष्ट व्यक्ति कार्यपरिषद् का नामनिर्दिष्ट व्यक्ति तथा सदस्य का नामनिर्दिष्ट व्यक्ति जैसा भी कि दशा हो, का नामनिर्दिष्ट व्यक्ति होगा।

(3) अधिकरण सदस्य को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् तथा ऐसे साक्ष्य की जो आवश्यक हो परीक्षा करने के पश्चात् अपना निष्कर्ष अभिलिखित करेगा और कुलाधिपति की ओर अग्रेषित करेगा।

(4) कुलाधिपति अधिकरण की रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् ऐसे अंतिम आदेश पारित कर सकेगा जैसे कि वह आवश्यक समझें।

परंतु कोई भी आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक सदस्य को यह कारण दर्शाने का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो कि उसके विरूद्ध प्रस्थापित कार्यवाही क्यों न की जाए।

(5) उपधारा (1) से (4) तक के उपबंध उस दशा में लागू नहीं होंगे जहाँ कुलाधिपति का यह समाधान हो जाता है कि विश्वविद्यालय के हित में यह समीचीन नहीं है कि उसके द्वारा नाम निर्देशित किए गए किसी सदस्य को हटाए जाने के पूर्व ऐसी जाँच की जाए और उसके कोई कारण दर्शाने की सूचना जारी की जाए या उसे सुनवाई का अवसर दिया जाए।

संविदाओं का निष्पादन

54. विश्वविद्यालय के प्रबंध तथा प्रशासन से संबंधित सभी संविदाएँ कार्यपरिषद् द्वारा की गई कही जाएगी और उसका निष्पादन कुलसचिव द्वारा किया जाएगा।

मानद उपाधि

55. यदि विद्यापरिषद् के दो तिहाई या उससे अधिक सदस्यों ने यह सिफारिश की है कि किसी व्यक्ति को मानद उपाधि या विद्यासंबंधी विशेष उपाधि इस आधार पर प्रदान की जाए कि वह उनकी राय में, उसकी उत्कृष्ट योग्यता के कारण ऐसी उपाधि या विद्यासंबंधी विशेष उपाधि पाने के लिये उपयुक्त और उचित व्यक्ति है तो महापरिषद् संकल्प द्वारा यह विनिश्चित कर सकेगी कि वह इस प्रकार अनुशंसित व्यक्ति को प्रदान की जाए।

सम्पत्ति का अंतरण

56. (1) यदि कोई व्यक्ति किसी न्यायालय द्वारा नैतिक कदाचार या घोर कदाचार का दोषी पाया जावे तो महापरिषद् अपनी बैठक में दो तिहाई से अधिक सदस्यों के द्वारा संकल्प पारित कर मानद उपाधि के अतिरिक्त विशेष विद्वत उपाधि, विशेषाधिकार वापस करेगा।

(2) जिसके विरूद्ध इस उपखण्ड के अधीन कार्यवाही विचाराधीन हो तब तक कार्यवाही नहीं करेगा जब तक कि उस व्यक्ति को अवसर न दिया गया हो।

(3) सामान्य परिषद् के द्वारा पारित संकल्प की प्रति यथाशीघ्र संबंधित व्यक्ति को दी जावेगी।

(4) ऐसे प्रकरणों में सामान्य परिषद् का निर्णय अंतिम होगा।

यदि इस अधिनियम के प्रारंभ होने के पश्चात् विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी के प्रथम गठन या पुनर्गठन के संबंध में या अन्यथा इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावशील करने में कोई कठिनाई उद्भूत हो तो राज्य सरकार अवसर द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार आदेश द्वारा कोई भी ऐसा भी कार्य कर सकेगी जो कि कठिनाई के निराकरण करने के प्रयोजन के लिये आवश्यक प्रतीत हो। कठिनाइयों का निराकरण

रायपुर, दिनांक 24 जनवरी 2005

क्रमांक 641/21-अ/प्रारुपण/04.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय अधिनियम, 2004 (क्र. 24 सन् 2004) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाना है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विमला सिंह कपूर, उप-सचिव.